दूरभाषः 0121–2643400(असैनिक)
फैक्स : 0121–264418
ई–मेल :cbmeerut@dgest.org

संख्या / 167 / जी /
कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
मेरठ छावनी (उ0प्र0)
पिन : 250001
दिनांक 14 मार्च 2017

सेवा में,

1. महानिदेशक, रक्षा सम्पदा
   भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
   रक्षा सम्पदा भवन,
   उलान बटार मार्ग, दिल्ली छावनी –10।
2. जीओसी–इन–चीफ मध्य कमान,
   1,महात्मा गांधी मार्ग,
   लखनऊ छावनी ।
3. प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा,
   17,करियप्पा स्ट्रीट,
   लखनऊ छावनी ।
4. जीओसी,मेरठ सबएरिया,
   मेरठ छावनी ।
5. श्रीमति बीना वाधवा, उपाध्यक्ष
6. ब्रिगेडियर जे0एस बिश्नोई, एसईएमओ / स्वास्थ अधिकारी, पदेन सदस्य
7. डीईओ, मेरठ वृत, मेरठ।
8. श्री गौरव वर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
9. कर्नल सुबोध गर्ग, मनोनीत सदस्य
10. कर्नल ए0के0 वैद, मनोनीत सदस्य
11. ले0 कर्नल चेतन वी0 धवाड, पदेन सदस्य
12. मेजर मनमोहन एस0 बरार, जी0ई(एस), मनोनीत सदस्य
13. श्रीमति रिनी जैन, निर्वाचित सदस्य
14. श्रीमति बुशरा कमाल, निर्वाचित सदस्य
15. श्री नीरज राठौर, निर्वाचित सदस्य
16. श्री अनिल जैन, निर्वाचित सदस्य
17. श्रीमति मन्जू गोयल, निर्वाचित सदस्य
18. श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य
19. श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य

श्री राजीव श्रीवास्तव, सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित

1–श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य
2–श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य
3–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक

विषयः– छावनी परिषद् मेरठ की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय / महोदया,

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 43(2) के प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक 27.02.2017 को 1430 बजे छावनी परिषद कार्यालय में सम्पन्न हुई छावनी परिषद् की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय

(राजीव श्रीवास्तव)भा.र.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
मेरठ छावनी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

छावनी परिषद्, मेरठ की वेबसाईट पर पोस्ट कर दिया गया - cbmrt.org.in
सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दिया गया

<u>यह कार्यवृत्त अंग्रेजी के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद है किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी का मूल पाठ ही मान्य होगा।</u>

छावनी परिषद्, मेरठ के कार्यालय मे दिंनाक 27.02.2017 को 1430 बजे आयोजित हुई छावनी परिषद की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त।

निम्न उपस्थित थेः–

1.	मेजर जनरल के0 मनमीत सिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमती बीना वाधवा	उपाध्यक्ष
3.	ब्रिगेडियर जे0एस0 बिश्नोई	पदेन सदस्य
4.	कर्नल सुबोध गर्ग	सदस्य – मनोनीत
5.	ले0 कर्नल चेतन वी0 धवाड	सदस्य – पदेन
6.	मेजर मनमोहन एस0 बरार	सदस्य – मनोनीत
7.	श्री गौरव वर्मा	सदस्य – मनोनीत (जि0म0 प्रतिनिधि)
8.	श्रीमती रिनी जैन	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 1
9.	श्रीमती कमाल	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 2
10.	श्रीमती मन्जू गोयल	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 6
	श्री राजीव श्रीवास्तव	सदस्य सचिव

निम्न सदस्य अनुपस्थित थेः

1.	कर्नल ए0के वैध	सदस्य – मनोनीत
2.	श्री नीरज राठौर	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 4
3.	श्री अनिल जैन	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 5
4.	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 7
5.	श्री विपिन सोढी	सदस्य – निर्वाचित वार्ड संख्या 8

विशेष आमंत्रित

1.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद संदस्य(लो0स)	विशेष आमंत्रित
2.	श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य (रा0स)	विशेष आमंत्रित
3.	श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक	विशेष आमंत्रित

श्री विपिन सोढी, श्री अनिल जैन, श्री नीरज राठौर एवं श्री धर्मेन्द्र सोनकर, सदस्यों से प्राप्त पत्र दिंनाक 27.02.2017 जो अ0छा0परि एवं सचिव, छावनी परिषद को सम्बोधित था अ0छा0परि के संज्ञानार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमे कथित निर्वाचित सदस्यों बैठक मे शामिल होने के लिए बैठक मे असमर्थता जताई एवं बैठक को किसी अन्य तारिख के लिए स्थिगित करने का अनुरोध किया था। चुकि, कार्यसाधक संख्या पूरा थी एवं निर्वाचित सदस्यों द्वारा बैठक को स्थगित करने का कोई ठोस कारण नही दिया गया था, अध्यक्ष छावनी परिषद ने कथित निर्वाचित सदस्यों को अनुपस्थिति की स्वीकृती देते समय बैठक को जारी रखने का आदेश दिया।

४८१. <u>छावनी परिषद का गठन एवं संचालनः मासिक छावनी परिषद संकल्पों पर छावनी परिषद उपनियमों का पालन करना।</u>

छावनी अधिनियम, 2006 सपठित छावनी परिषद मेरठ के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य विनियमन एवं इस विषय पर भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत छावनी प्रशासन का संचालन एवं छावनी परिषद के गठन के मामले पर विचार करने हेतु एवं मुख्यालय मध्य कमान पत्रांक 260506/कैन्ट बोर्ड/एमटीजी/क्यू3एल2 दिंनाक 10.10.2016 के साथ साथ निदेशालय रक्षा सम्पदा के पत्रों पर विचार करने हेतु।

भारत सरकार ने छावनी परिषद, मेरठ द्वारा बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठक के आयोजन एवं उसके मामलों के लिए कार्य विनियमन अधिसूचित किए है। केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या 49/18/जी/एल एवं सी/54/2492–जी/डी (सी एंड जी) दिंनाक 24.09.1957 के माध्यम से अनुमोदित कार्य विनियमन की कंडिका 41 के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि आपातकाल स्थिति मे कोई भी मुददा अथवा मामले पर बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्बन्धित कागजात भेजकर विचार किया जा सकता है। ऐसे सर्कुलर कार्यसूची पर सभी सम्बन्धितों को उसी दिन बिना समय नष्ट करते हुए एवं आगे की जानकारी मांगे अपनी सहमति या असहमति पर हस्ताक्षर करने होते है। परन्तु आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि, मनोनीत सदस्य एवं कुछ नागरिक सदस्य उसपर हस्ताक्षर करने से बचते है एवं दस्तावेजों की मांग करते है एवं पत्रावली को अपने पास रखना चाहते या कार्यसूची की प्रति मांगते है। ऐसे कार्य अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है एवं इसके अलावा आपात काल मे लिये जाने वाले निर्णय उददेश्य को भी निष्फल हो जाता है एवं यह छावनी अधिनियम, 2006 के संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध है। यद्वपि, कोई भी सदस्य सर्कुलर कार्यसूची को अनुमोदित करने के लिए बाध्य नही है कागजात पढने के पश्चात यह उनकी इच्छा है वह सहमत हो या असहमत परन्तु कागजों को रख लेना या हस्ताक्षर न करना यह अधिनियम के विरूद्ध है।

बोर्ड को छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उननियमों का पालन करने का सुझाव दिया जाता है। यह भी सूचनीय है कि ऐसे कई सारे नियम है जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए है जैस सीएफएसआर 1937, छावनी लेखा संहिता 1924, छावनी भूमि प्रशासन नियमावली, 1937 जिनका पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए जब भी इनके प्रावधान मु.अ.अ द्वारा बोर्ड के समक्ष लाए जाए। तद्वनुसार, निदेशालय के पत्रों सहित जीओसी इन सी मुख्यालय मध्य कमान द्वारा पत्र संख्या 260506/कैन्ट बोर्ड/मीटींग/क्यू3एल2 दिंनाक 10.10.2016 के माध्यम से निर्देश दिए गए है कि प्राधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन पूर्ण रूप से छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

बोर्ड को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 33 के प्रावधानों को नही भूलना चाहिए जो कहता है बोर्ड का प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी होगा यदि बोर्ड की किसी सम्पत्ति अथवा धन का कोई दुरूपयोग, क्षति अथवा हानि होती है या जो बोर्ड के प्रबंध अधीन हो और ऐसा नुकसान या दुरूपयोग या हानि सदस्य के लापरवाही अथवा दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हो और क्षतिपूर्ति हेतु बोर्ड या केन्द्र सरकार के द्वारा उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकता है।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि पूराने छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत बोर्ड ने छावनी अधिनियम 1924 की धारा 282 एवं 283 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के लिए

उपनियम बनाए थे। कुल 43 उपनियम है जो कि अधिसूचित है। हालाकि, कुछ उपनियम अप्रचलित हो गए है जैसे पैडल साईकल कर अधिसूचना, जन्म एवं मृत्यु के उपनियम, चीजों की तौल, नाप, टुकडों या किसी अन्य माध्यम से बिक्री को नियमित करने वाले उपनियम, बाहर जाने वाले वाहनों के मालिकों या चालकों को दिए गए लाईसेंसों के नियमीकरण के लिए उपनियम इत्यादि।

संसद ने छावनी अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है एवं छावनी अधिनियम 2006 की धारा 348 के प्रावधानों के अंतर्गत इस धारा मे उल्लिखित 44 विषयों पर उपनियम बनने एवं अधिसूचित होने है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

481. संकल्प

मामले पर लंबी चर्चा की गई। मु.अ.अ. ने छावनी अधियिम, 2006 के अंतर्गत अध्यक्ष छावनी परिषद, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य एवं मु.अ.अ. के कर्तव्यों की कानूनी स्थिति बताई। उन्होने बोर्ड को सदस्यों, बैठकों, कार्यो, कार्यसाध्यक संख्या, प्रश्नों पर निर्णय एवं अन्य के सम्बन्ध मे छावनी अधिनियम, 2006 की जरूरी धाराओं के बारे मे भी बताया। उन्होने मुख्यतः छावनी अधिनियम की धारा 33 एवं 34 पर ध्यान आकर्षित किया एवं प्रावधानों को विस्तृत रूप से समझाया। उन्होने धारा 51 से 65 को भी मुख्य रूप से बताया।

बोर्ड को सूचनीय है कि मु.अ.अ बोर्ड के सचित होने के नाते सभी कानूनी मुददों पर बोर्ड के साथ साथ अध्यक्ष छावनी परिषद के सलाहकार है। उनकी सलाह पर बोर्ड को विचार करना होगा इस स्थिति के बावजूद सदस्य बहुमत से संकल्प ले सकते है। हालाकि, यदि मु.अ.अ. को लगता है कि बहुमत से लिए पारित किए गए संकल्प सरकार के हित के विरूद्ध है यह सरकारी नीतियों का उलंघन है, वह ऐसे संकल्पों के निलंबन/अलग रखने के लिए मामले को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 56(4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजने के लिए अधिकृत है।

अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष छावनी परिषद एवं मु.अ.अ के कर्तव्यों एवं शक्तियों के बारे मे बताने के अलावा, मु.अ.अ. ने समझाया कि छावनी परिषद के सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों की अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ है परन्तु उनको बोर्ड के किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही मे हस्तक्षेप करने का कोई प्राधिकार नही है। निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य किसी भी दस्तावेज, किताब या रजिस्टर जो बोर्ड के पास है का निरीक्षण कर सकते है परन्तु उसके लिए बोर्ड की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे मु.अ. अ ने बोर्ड का ध्यान छावनी अधिनियम 2006 की धारा 306 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जो संदर्भ हेतु नीचे लिखा गया है एवं सदस्यों को किसी दस्तावेज के निरीक्षण हेतु इसका पालन करने की सलाह दीः–

306. बोर्ड के सदस्य द्वारा निरीक्षण की शक्तिः–

एक परिषद विशेष आदेश से बोर्ड के खर्चे पर चल रहे किसी कार्य, संस्था के निर्माण या संचालन, पूर्णतः या भाग मे, या किसी रजिस्टर, किताब लेखे एवं कोई अन्य दस्तावेज जो बोर्ड से सम्बन्धित हो या बोर्ड के कब्जे मे हो के निरीक्षण के लिए किसी सदस्य को अधिकृत या आदेशित कर सकता है।

छावनी अधिनियम 2006 ने मु.अ.अ एवं अ.छा0परि के कर्तव्यों, अधिकारों एवं कार्यों का निर्धारण किया है। कोई अन्य प्रक्रिया कानून के विरूद्ध एवं संसद द्वारा बनाए गए नियमों का उलंघन है। मु.अ.अ ने बोर्ड को छावनी लेखा संहिता 1924, छा0नि0ले0नि0 1937 एवं सीएलएआर 1937 के प्रावधानों के बारे मे भी बताया। मु.अ.अ ने सभी सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों का पालन करने की सलाह दी। मु.अ.अ ने जो कुछ समझाया उसे बोर्ड ने नोट किया एवं संकल्प लिया गया कि भारत सरकार एवं जीओसी इन सी, मध्य कमान द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए एवं बोर्ड के सभी संकल्प एवं कार्यवाही छावनी अधिनियम 2006 एवं मु.अ.अ द्वारा बताए गए अन्य नियमों के अनुसार ही होने चाहिए।

४८२. छावनी परिषद्, मेरठ के कर्मचारियों को ०१.०७.२०१६ से मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन पर १२५ प्रतिशत से १३२ प्रतिशत के महंगाई भत्ते की संशोधित दर की मंजूरी।

संदर्भः निदेशालय, र0स0 मुख्य0 म0क0 के पत्र संख्या 9334/यूपी/डीए/एलसीपी दिनांक 08.02.2017।

निदेशालय, र0स0 मु0 म0क0 क उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा छावनी परिषद् मेरठ के कर्मचारियों को 01.07.2016 से मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन पर मंहगाई भत्ते की संशोधित दर 125 प्रतिशत से 132 प्रतिशत की स्वीकृती पर विचार एवं नोट करने हेतु।

कार्यालय रिपोर्ट :

1. बोर्ड को प्रेषित है कि इस छावनी परिषद संकल्प संख्या 668 दिंनाक 26.08.2002 के प्राधिकार के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या 104/ए/रिवीजन आफ डीए/24 दिंनाक 24.01.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 10/2016/वे–ए–1–1070/दस–2016–8(एम)/2016 दिंनाक 23.12.2016 के अनुसार छावनी परिषद् कर्मचारियों को मूल वेतन पर डी0ए0 125 प्रतिशत से 132 प्रतिशत की संशोधित दर से प्रदान करने के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया गया था।

2. सक्षम अधिकारी की पत्र संख्या 9334/यूपी/डीए/एलसीपी दिंनाक 08.02.2017 के माध्यम से एफआर 44 के अंतर्गत सपठित छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 19(ब) के अंतर्गत छावनी परिषद के कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2016 से मूल वेतन एवं गेड वेतन पर 125 प्रतिशत से 132 प्रतिशत (7 प्रतिशत) की दर से डीए के भुगतान करने करने की स्वीकृती प्राप्त हुई है।।

3. प्रधान निदेशालय ने आगे सभी मु.अ.अ. को यह निर्देशन दिया है कि पहले मामले को छावनी बोर्ड के समक्ष वेतन एवं डीए की बढ़ी हुई राशि पर संस्तुतियों के अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाए, छावनी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही

कर्मचारियों को राशि का भुगतान किया जाए एवं संकल्प की एक प्रति निदेशालय रक्षा सम्पदा को एक माह के भीतर भेजी जाए।

4. बोर्ड को सूचनीय है कि 01.07.2016 से डीए की दर में संशोधन के कारण रु 5,13,707/– का प्रतिमाह वित्तीय प्रभाव पडेगा। अतः, जुलाई 2016 से फरवरी 2017 (08 माह) तक रू 41,09,656/– का एरियर आएगा।

जीओसी मध्य कमान द्वारा स्वीकृत बजट आंकलन 2016–17 (संशोधित) के स्थापना के आवश्यक मद्वों में बजट मौजूद है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर उचित निर्णय लें।

482. संकल्प

नोट कर निर्णय लिया गया कि दिंनाक 01.07.2016 से संदर्भित स्वीकृती के अनुसार कर्मचरियों को संशोधित महगांई भत्ते का भुगतान किया जाए।

४८३. बेकरी लेन, लालकुर्ती, मेरठ छावनी मे फडों का आवंटन।

लालकुर्ती मुख्य सडक एवं लालकुर्ती पैठ क्षेत्र, मेरठ छावनी मे हरी सब्जियाँ/फल आदि बेचने के लिए तहबाजारी उपनियमों के अंतर्गत फडों के प्रयोग करने के लिए पुरानी अनुमतियों को खारिज करने एवं वर्तमान मे हरी सब्जी/फल आदि बेचने वाले ठेला चालक आदि को नई शर्तों पर अनुमति देने पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोटः

बोर्ड को सूचनीय है कि बाउंड्री रोड, बेगमपुल एवं जीरो माईल पर सब्जी, फल एवं कपडा बेचने वालों के कारण होने वाले यातायात बाधा से बचने के लिए बोर्ड ने बेकरी लेन, बीआई बाजार, मेरठ छावनी मे छा0बो0स0 संख्या 114 दिंनाक 31.11.2013 के माध्यम से फडों का विकास किया था।

बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 180 दिंनाक 04.03.2014 के माध्यम से निर्णय लिया कि तहबाजारी उपनियमों के अंतर्गत बेकरी लेन पर फडों के निम्न शुल्क लगाए गएः–

1. 70 वर्ग फीट तक के प्लैटफार्म के रू 35/– प्रति दिन
2. 70 वर्ग फीट से 100 वर्ग फीट तक के प्लैटफार्म के रू 50/– प्रति दिन

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रोसरी, फलों, कपडा बेचने वालों को बाउंड्री रोड के पास त्रिकोणीय प्लाट से बेकरी लेन, बीआई बाजार पर नई विकास की गई जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए। फडों पर धूप एवं बारिश से बचने के लिए पर्यावरण मित्र वाले तारपुलिन की चादर के अलावा कोई पक्का निर्माण नही किया जाएगा।

बेकरी लेन पर फडों के तहबाजारी शुल्क लगाने का मामला पुन बोर्ड के समक्ष मोशन के माध्यम से 04 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिंनाक 22.09.2014 को लाया गया। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 364 दिंनाक 27.09.2014 के माध्यम से विचार कर बेकरी लेन पर फउों क लिए रू 1200/– प्रतिमाह प्रति प्लैटफॉर्म लगाये।

कार्यालय पत्रावली के अनुसार राजस्व अधीक्षक की ओर से तत्कालीन राजस्व लिपिक ने रिपोर्ट दिंनाक 14.07.2014 के माध्यम से 77 व्यापारियों की आवंटी को तहबाजारी उपनियमों के प्रावधानो के अंतर्गत तत्कालीन मु.अ.अ को प्रेषित की गई थी जिन्हे नई विकास की गई फडों पर स्थानांतरित किया गया था परन्तु मु.अ.अ उस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नही थी।

तत्कालीन राजस्व अधीक्षक ने रिपोर्ट दिंनाक 26.12.2014 के माध्यम से सूचित किया कि ग्रोसरी, फलों, कपडा बेचने वाले एवं अन्य ठेले वाले जो दैनिक तहबाजारी शुल्क का भुगतान कर रहे थे को लालकुर्ती मुख्य सडक बाजार से बेकरी लेन, बीआई बाजार पर नई विकास की गई फडों पर स्थानांतरित कर दिया गया। तत्कालीन राजस्व अधीक्षक ने मु.अ.अ से यह भी अनुरोध किया कि प्रत्येक फड धारक से रू 1200/– प्रतिमाह तहबाजारी शुल्क एवं रू 5000/– सिक्योरिटी राशि के रूप मे ली जाए। तत्कालीन मु.अ.अ ने आदेश दिंनाक 29.12.2014 के माध्यम से बोर्ड के निर्णयानुसार अनुपालन करने का निर्देश दिया।

बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 401 दिंनाक 27.10.2001 एवं छा0बो0स0 संख्या 14.06.2004 के माध्यम से रू 5000/– स्वीकृत तहबाजारी उपनियमों के अंतर्गत सरकारी भूमि के प्रयोग के अनुमति शुल्क लगाया।

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 मे 77 व्यापारियों मे से केवल 28 नाम लिखे थे एवं 49 नाम भूमि किराया रजिस्टर मे नही लिखे थे परन्तु वार्षिक मांग एवं एरियर मे सभी 77 व्यापारियों के लिखे गए थे। इन परिस्थितियों मे 49 फडों मे से कोई वसूली नही की जा सकी।

बोर्ड को आगे यह भी सूचनीय है कि छा0बो0स0 संख्या 401 दिंनाक 27.10.2001 एवं छा0बो0स0 संख्या 366 दिंनाक 14.06.2004 के अनुपालन मे, तहबाजारी उप–नियमों के अंतर्गत सरकारी भूमि के प्रयोग के लिये रू 5000/– अनुमति शुल्क 77 व्यापारियों से नही वसूला जा सका जो बेकरी लेन पर विकास की गई फडों पर व्यापार कर रहे थे।

मामला मु.अ.अ. के समक्ष दिंनाक 06.12.2016 को रखा गया। मु.अ.अ. ने दिंनाक 20.12.2016 को मामला देखा एवं पाया कि यह एक गंभीर मुददा है एवं बोर्ड को वित्तीय नुकसान हुआ है। तुरंत स्पष्टीकरण मांगा जाए। पूर्व राजस्व अधीक्षक से भी चूक के लिए जवाब मांगा गया। इस सम्बन्ध मे दिंनाक 20.12.2016 को श्री विजय गहलौत, कनिष्ठ लिपिक एवं श्री पदम सिंह पूर्व राजस्व अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री पदम सिंह, पूर्व राजस्व अधीक्षक एवं श्री विजय गहलौत कनिष्ठ लिपिक का जववा पंत्रावली मे अनुलग्नक ए एव ंबी संलग्न है।

भूमि किराये रजिस्टर सहित सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

483. संकल्प

विचार कर बेकरी लेन, लालकुर्ती, मेरठ छावनी मे वेंडरों को आवंटित की गई फडों का आवंटन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। आगे निर्णय लिया गया कि इन फडों के आवंटन के लिए विस्तृत नियम व शर्तें मु.अ.अ द्वारा तैयार की जाए एवं मौजूदा तहबाजारी शुल्क पर आवंटन एक वर्ष के लिए किया जाए जो प्रतिवर्ष इस शर्त पर बढाई जा सकती है कि भुगतान की पिछली तहबाजारी शुल्क पर हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

आगे निर्णय लिया गया है कि वेंडरों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार आवंटन पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया। आवंटन सख्त पहचान प्रमाण पर केवल लालकुर्ती क्षेत्र के मौजूदा वेंडरों को ही किया जाए इस शर्त पर कि अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण मे शामिल व्यक्ति को फडों का आवंटन नही किया जाएगाः–

1. श्रीमती बीना वाधवा, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती मंजू गोयल, सदस्य
3. श्रीमती बुशरा कमाल, सदस्य
4. मु.अ.अ, सदस्य सचिव

आगे निर्णय लिया गया कि सभी 77 फडों के आवंटन के पश्चात लालकुर्ती की पूरी सब्जी मंडी बेकरी लेन पर स्थानांतरित कर दी जाए एवं किसी भी परिस्थिति मे कोई स्ट्रीट वेंडिंग की स्वीकृती न दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व मे आवंटित की गई फडों के अनुसार बनाई गई बकाया मांग को वसूल न की जा सकने वाली राशि से काटने का मामला सक्षम अधिकारी को भेजा जाए एवं इसके बाद से रजिस्टर मे कोई आगे की मांग न चढाई जाए, क्योकि पूर्व के आवंटन समाप्त हो चुके है। मु.अ.अ फडों के लिए चिन्हित किए गए क्षेत्र के विकास एवं वेंडिंग उददेश्य के लिए तैयार करने हेतु खर्च करने के लिए अधिकृत है।

४८४. निधि का विनियोग : बजट आंकलन २०१६–१७।

बजट आंकलन 2016–17 जो कि जीओसी इन सी, मध्य कमान द्वारा अनुमोदित कर निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान के पत्रांक 82877/जैन/एलसी8/2016–17 दिंनाक 09.02.2017 द्वारा भेजा गया था मे छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 21 के अंतर्गत एक मद्व के भीतर अल्प मद्व से अल्प मद्व मे निधि के विनियोग पर विचार एवं अनुमोदित करने हेतु।

कार्यालय रिपोर्ट

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद एक मद्व के भीतर अल्प मद्व से अल्प मद्व मे निधि के विनियोग करने के लिए सक्षम स्वीकृती अधिकारी है।

निम्नलिखित निधि के विनियोग अनुमोदन हेतु प्रस्तावित हैः–

1. बी2(ए) कर स्थापना से बी3(ए) राजस्व स्थापना मे – रू 8,00,000
2. बी2(ए) कर स्थापना से बी3(बी) राजस्व आकस्मिक्ता मे – रू 7,00,000

3. एल4(जी) विविध कानूनी शुल्क से एल4(ए) विविध स्टेशनरी मे — रू 10,00,000
4. डी2(ए) भवन से डी2(बी) सडको मे — रू12500,000
5. डी2(सी) नालियों से डी2(बी) सडको मे — रू12500,000
6. डी2(डी) जलापूर्ति से डी2(बी) सडकों मे — रू 75,00,000

छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 20(2) के अंतर्गत बनाए गए प्रस्तावित विनियोग विवरण सहित सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदित करे।

484. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यसूची मे उल्लिखित एक मद्व के भीतर अल्प मद्व से अल्प मद्व मे निधि के विनियोग को अनुमोदित किया गया।

४८५. शुद्धि पत्र

संदर्भ : निदेशालय रक्षा सम्पदा मुख्यालय मध्य कमान पत्र संख्या 34238/एमआरटी/पी/टीचर/2014/883 दिंनाक 31.08.2015।

छा0बो0स0 संख्या 384 दिंनाक 11.03.2013 मे श्रीमती सुमन बाला शर्मा एवं श्रीमती कुसुम लता, प्राईमरी अध्यापिकाओं द्वारा 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नती वेतनमान के ग्रेड वेतन रू 4600/— के स्थान पर रू 4800/— पढे जाने हेतु।

485. संकल्प

नोट किया गया।

४८६. छावनी परिषदों का संचालन : संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाहन, राजस्व उत्सर्जन, विकास कार्य, छावनी परिषदों आदि के प्रबंधन वाली भूमि की सुरक्षा।

छावनी परिषदों संचालन एवं संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वाहन के सम्बन्ध मे प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा मध्य कमान लखनऊ द्वारा जारी परिपत्र संख्या 56044/परफोरमेंस ऑडिट/कैन्ट/2014 दिंनाक 09.02.2017 पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी सवैंधानिक कर्तव्यों का कर निर्वाहन करे जिसके लिए अलग से परियोजना एवं बजट मे वित्तीय प्रावधान बनाया जाए। इस सम्बन्ध मे निदेशालय रक्षा सम्पदा का पत्र संख्या No.56044/Performance Audit/Cantt/2014 dated 09th Feb 2017 प्रस्तुत है जो स्वयं व्याख्यात्मक है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

486. संकल्प

मु.अ.अ. ने बोर्ड के संज्ञान मे लाया कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत बोर्ड सभी आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा है, केवल निम्न को छोडकर जिनका निर्वाहन नही किया जा रहा है या जिनका निर्वाहन कुछ भाग मे लिया जा रहा है। :–

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62(7) के अनुसार मृतकों के निस्तारण के लिए आहरण, रखरखाव, बदलने एवं जगह को नियमित करने के लिए है; मु.अ.अ ने सूचित किया कि पिछले कई दशकों से छावनी के बाहर मृतकों के निस्तारण के लिए प्रावधान मौजूद है एवं जिसका ठीक प्रकार से संचालन हो रहा है अतः, इसे कराने कोई आवश्यकता नही है।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62(15) आग लगने पर जीवन एवं सम्पत्ति बचाने के लिए अग्निशमन के लिए सहायता देने के लिए है।

अग्निशमन के लिए छावनी क्षेत्र मे जगह जगह नल/बम्बे के रखरखाव करते हुए सहायता प्रदान की जा रही है। हालाकि, यदि आवश्यकता पडे तो भविष्य मे बोर्ड अग्निशमन निविदा खरीद सकता है।

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 62(17) नागरिक सुरक्षा सेवाओं की स्थापना एवं संचालन के लिए है। इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई श्री गौरव वर्मा, एडीएम मनोनीत सदस्य ने सुझाया कि जिला प्रशासन के अधीनस्थ कार्य कर रही नागरिक सुरक्षा ईकाई से छावनी क्षेत्र मे स्वयंसेवक प्रदान करने के लिए सम्पर्क किया जा सकता है एवं इस उददेश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि छावनी क्षेत्र मे नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए छावनी परिषद को स्वयंसेवक प्रदान करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाए।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 62(18) शहरी योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने के लिए है। शहरी परियोजना के लिए पहले ही योजना तैयार की जा चुकी है एवं उच्च अधिकारियों द्वारा सीडीएमपी/स्मार्ट कैन्ट परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित की गई है। अन्य शहरी परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करन, लागू करने के लिए उचित ऐजेंसी की नियुक्ति की जा सकती है।

उपरोक्त पर विचार कर बोर्ड ने पाया कि बोर्ड केवल धारा 62(15), (17) एवं (18) को छोडकर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 62 के अंतर्गत आने वाली सभी संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा है। धारा 62(7) के अंतर्गत आने वाले कर्तव्यों का मौजूदा स्थिति को देखते हुए निर्वाहन करने की कोई आवश्यकता नही है, निर्णय लिया गया कि प्रधान निदेशालय को तद्वनुसार अवगत कराया जाए।

<u>४८७. निर्णय</u>

निम्नलिखित मामलों मे अपीलीय अधिकारी जो कि निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी है के द्वारा लिए गए निर्णयों को नोट करने एवं प्राप्त आदेशों के अनुसार आगे की कार्यवाही करने हेतु।

क्रम संख्या	अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम एवं सम्पत्ति संख्या	आदेश की तिथि	नोटिस संख्या एवं तारिख
1	07/2016	श्री तारिक मसूद पुत्र श्री मसूद अहमद	27.12.2016	No. Misc/814/E7A/ dated 13.05.2010
2	08/2016	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री आत्मा राम	27.12.2016	No. Misc/730/E7A/ dated 29.04.2010
3	10/2016	श्री वीर सिंह पुत्र श्री मंगत पीडी	27.12.2016	No. Misc/898/E7A/ dated 03.06.2010
4	09/2016	श्री शिखर चंद जैन पुत्र श्री मुस्सदी लाल	28.12.2016	No. Misc/901/E7A/ dated 03.06.2010
5	04/2016	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जगमोहन	28.12.2016	No. Misc/820/E7A/ dated 13.05.2010
6	23/2016	श्री गणेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुंदर लाल	28.12.2016	No. Misc/1710/E7A/ dated 24.06.2010
7	27/2016	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह	28.12.2016	No. Misc/1051/E7A/ dated 06.07.2010
8	22/2016	श्री एमपी शर्मा पुत्र श्री एसआर शर्मा	29.12.2016	No. Misc/1048/E7A/ dated 06.07.2010
9	24/2016	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतन लाल	29.12.2016	No. Misc/1014/E7A/ dated 24.06.2010
10	28/2016	श्रीमती वीना गुप्ता पत्नि श्री चेतन प्रकाश	29.12.2016	No. Misc/1178/E7A/ dated 27.07.2010
11	53/2016	श्री किशोर पुत्र श्री ब्रिजलाल	02.01.2017	No. Misc/1296/E7A/ dated 17.08.2010
12	56/2016	श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 हीरा लाल जैन	02.01.2017	No. Misc/1763/E7A/ dated 18.10.2010

उपरोक्त अपीलों को अपीलीय अधिकारी, मुख0 मध्य कमान, लखनऊ छावनी द्वारा खारिज किया गया है। अवैधनिर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस

जारी किया जाए जिसमे नोटिस प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त/हटाने के लिए कहा जाए।

सम्बन्धित अभिलेखों सहित सम्पूर्ण पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

487. संकल्प

नोट किया गया। अवैध निर्माणकर्ताओं को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के अंतर्गत 07 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने/हटाने के लिए आवश्यक नोटिस जारी किया जाए, असफल रहने पर छावनी परिषद द्वारा पुलिस मदद से ध्वस्तीकरण कराया जाए एवं ध्वस्तीकरण की लागत अवैध निर्माणकर्ता से वसूली जाए।

श्रीमती मन्जू गोयल ने कहा कि क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 12 तक के मामलों मे अपीलीय अधिकारी ने अवैध निर्माणओं के क्षमन के निर्देश दिए है एवं अवैध निर्माणकर्ताओं ने पहले ही इसके लिए आवेदन कर दिया है। उन्होने एक नोट दिया जो नीचे चस्पा हैः–

बिन्दु सं0 487

बिन्दु सं0 487 के क्रमांक सं0 1 व 12 मे मध्य कमान लखनऊ से कम्पोजिशन के आदेश आये है। अपीलार्थी द्वारा कम्पोजिशन का नक्शा भी मध्य कमान के आदेशानुसार कार्यालय मे जमा कर दिया है, जो विचाराधीन है।

अतः क्रमांक सं0 1 व 12 को छोडकर बाकी सभी क्रमांकों के ओफेन्डरों को धारा–320 के अंतर्गत नोटिस जारी किये जाए।

मु.अ.अ. ने कहा कि कार्यालय द्वारा हर मामले पर अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

४८८. शहीद स्मारक के रखरखाव का हंस्तातरण।

शहीद स्मारक मे छावनी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सफाई सेवाएं एवं सुरक्षा देखरेख के मामले पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि शहीद स्मारक बी–2 भूमि पर स्थित है जिसका खसरा संख्या 357/1763 है एवं उत्तर प्रदेश सरकार के निहित है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के देखरेख मे है। प्रांगण मे अशोक स्तम्भ एवं कला स्रंगह है। शहीद स्मारक के वृक्षसंवर्धन एवं अन्य सभी कार्य राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा नियंत्रित है। परन्तु वर्ष 2006 मे सफाई सेवाएं एवं सुरक्षा देखरेख की जिम्मेदारी छावनी परिषद को दे दी गई। बोर्ड ने छा0बो0स0 244 दिंनाक 26.10.2006 के माध्यम से जिम्मेदारी को स्वीकारा था एवं शहीद स्मारक का बी–2 भूमि से सी वर्ग मे वर्गीकरण करते हुए छावनी परिषद को हस्तांतरण कराने का संकल्प लिया था। इस सम्बन्ध मे पत्र संख्या 164/ई–5/2006–07/311 दिंनाक 30.11.2006 के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु स्वीकृती अभी भी प्रतिक्षित है। बोर्ड शहीद स्मारक मे

सफाई सुविधाए दे रहा है एवं शहीद स्मारक की सुरक्षा के लिए पीआरडी जवान एवं चौकीदारों की नियुक्ति भी की गई है।

बोर्ड को आगे यह भी सूचनीय है कि छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत छावनी निधि ऐसी किसी भी सम्पत्ति पर खर्च नही की जा सकती जो छावनी परिषद के निहित नही है। अतः जिम्मदारी लेने का निर्णय एवं सुरक्षा पर किये जाने वाला खर्च छावनी अधिनियम, 2006 के खिलाफ है जबतक कि भूमि सी वर्ग मे न बदल जाए एवं शहीद स्मारक पूर्ण रूप से छावनी परिषद को न दे दिया जाए।

इसी बीच जिला मजिस्ट्रेट मेरठ ने पत्र संख्या 1163/जि0पू0अ0–दु0अनु0/16 दिंनाक 07.11.2015 ने शहीद स्मारक पर अमर ज्योति क्रांति की स्थापना के लिए ईच्छा जाहिर की थी। इसी बीच, टाईम्स ऑफ इण्डियामे दिंनाक 28.12.2016 एवं आई नैक्सट दिंनाक 28.12.2016 मे छपी मिडिया रिपोर्ट के माध्यम से पता लगा कि राज्य पर्यटन के माननीय संघमंत्री ने प्रांगण मे रू 3,12,37,000/– वाली ध्वनि एवं लाइट की परियोजना का उदघाटन किया जबकि न ही तो इस कार्यालय को कोई अधिकारिक सूचना भेजी गई और ही यह कार्यालय को इस परियोजना के बारे मे कोई जानकारी है। इस सम्बन्ध मे, माननीय संसद सदस्य मेरठ हापुड लोक सभा ने पत्र संख्या 115/रा.स्व.सं.संग्र(19)/सुरक्षा–2007 दिंनाक 18.11.2016 जो क्योरेटर राज्य आर्ट गैलरी द्वारा लिखा गया था जिसमें लिखा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था एवं पार्क का रखरखाव छावनी परिषद द्वारा नही कराया जा रहा है एवं यह पीआरडी जवानों की नियुक्ति कर कराई जा रही को अग्रेषित करते हुए पंत्राक 696/16 दिंनाक 20.12.2016 भेजा।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार करे एवं उचित निर्णय ले।

488. संकल्प

बोर्ड ने कार्यबिंदु को नोट किया। कर्नल सुबोध गर्ग ने भूमि के बी–4 अथवा बी–2 होने पर संशय व्यक्त किया। अतः, निर्णय लिया गया कि भूमि की स्थिति की पुष्टि रक्षा सम्पदा कार्यालय, मेरठ वृत मेरठ से की जाए।

आगे निर्णय लिया गया कि यदि भूमि की पुष्टि बी–2 के रूप मे होती है तो, जिला प्रशासन को सूचित किया जाए कि शहीद स्मारक बी–2 भूमि पर निर्मित है जो राज्य सरकार मे निहित है एवं अतः उक्त सम्पत्ति पर छावनी निधि खर्च नही की जा सकती। अतः, छावनी परिषद के लिये शहीद स्मारक पर सुरक्षा एवं देखरेख पर खर्च करना सम्भव नही है। इसे राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि से कराया जाना चाहिए।

४८९. छावनी क्षेत्र मे घर घर से कूडा उठाना।

संदर्भः– छा0बो0स0 संख्या 504 दिंनाक 31.05.2013, छा0बो0स0 संख्या 6(1) दिंनाक 01.09.2015 एवं छा0बो0स0 संख्या 385 दिंनाक 26.11.2014।

म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ठ (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग नियमावली, 2000) के अंतर्गत घर घर से कूडा उठाने के लिए शुल्क लगाना।

बोर्ड को सूचनीय है कि म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ठ (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग नियमावली, 2000) के अनुसार सभी नगर निगम/छावनी प्राधिकारी नगर ठोस अपशिष्ठों को उठाने, छांटने, रखने, ढोने एवं खत्म करने करने के लिए जिम्मेदार है।

उपरोक्त उल्लिखित नियमावली के नियम 4 के अनुसार सभी म्यूनिसिपल प्राधिकारी कूडे को इकटठा करने, रखने, छांटने, ढोने के लिए किसी भी बुनायादी ढांचे के विकास करने एवं नियमावली के प्रावधानों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। यह भी सूचनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों मे म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट को न डालने के लिए अधिसूचित किया गया है। कूडा डालने से रोकने के लिए एवं नियमावली का अनुपालन करने के लिए सभी नगर निगमों को घर घर से कूडा उठाने के तरीके जैसे वर्गीय कूडा उठाना, हर घर से कूडा उठाना या पूर्व सूचित समय पर कूडा उठाने पर प्रयास करने होंगे।

उपरोक्त कार्य को करने के लिए अतिरिक्त मानवश्रम एवं मशीनों की आवश्यकता होने के कारण बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया गया है। इससे बोर्ड का खर्च बढेगा। उपरोक्त उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत, खर्च के कुछ हिस्से का भुगतान अंत प्रयोगी द्वारा किया जा सकता है। अतः, यह आवश्यक है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत घर घर से कूडा उठाने के लिए कुछ उचित शुल्क वसूला जाए।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 67 सपठित म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ठ (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग नियमावली, 2000) के अनुसार बोर्ड द्वारा निम्न दरों पर विचार किया जा सकता हैः–

S.No.	Class	User charges per month Rs.
1.	a. Constructed building having area less than 500Sqft b. Constructed building having area more than 500SSqft c. Slum area	100 200 30
2.	a. shop having less than 500Sqfft area b. shop having more than 500Sqft area	200 300
3.	Beetal nuts sailor	50
4.	Tea stall	50
5.	Restaurant upto 50Sqmtr	500
6.	Restaurant more than 50Sqmtr	1000
7.	a. Hotel upto 15 rooms b. hotel upto 30 rooms	2000 3000
8.	Upto 15 rooms lodge	1500
9.	More than 15 less than 30 rooms lodge	2500
10.	Dharamshala less than 30 rooms	800
11.	Dharamshala having more than 30 rooms	1200
12.	Banks	5000
13.	Cinema halls	2500
14.	Schools having less than 500 students	3000
15.	Schools having more than 500 students	5000
16.	Shopping complex	10000
17.	Grossery shops	300
18.	Nursing homes/clinics	2000
19.	Hospital less than 20 beds	3000
20.	Hospital more than 20 beds	5000
21.	Banquet halls/vivah mandap	5000
22.	Hostel having less than 30 rooms	500
23.	Hostel more than 30 rooms	1000
24.	Higher education institutes	5000

25.	Workshop/factory	7500

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

489. संकल्प

मु.अ.अ ने सूचित किया कि छावनी क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था सुधारने एवं ''स्वच्छ छावनी स्वस्थ छावनी'' उददेश्य के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान को लागू कराने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 141 सपठित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली, 2000 के कार्यवाही आवश्यक है। मु.अ.अ. ने बोर्ड को कार्यसूची मे उल्लिखित शुल्क लगाने की आवश्यकता के बारे मे बताया जिसपर बोर्ड ने नोट करते हुए सहमति दी, क्योकि अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को छावनी मे उत्सर्जित ठोस अपशिष्ठ को उठाकर ट्रैंचिंग ग्राउंड या कम्पोस्ट जगहों पर पहुंचाना है।

निर्णय लिया गया कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 141 सपठित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली, 2000 के अंतर्गत कार्यसूची मे उल्लिखित शुल्कों को अनुमोदित किया गया एवं वह 01.03.2017 से प्रभावी होंगे।

मु.अ.अ ने कहा कि ऐसे शुल्क को मासिक आधार पर वसूला जाएगा जिसे बोर्ड ने अनुमोदित किया। यह भी अनुमोदित किया गया कि यदि किसी के द्वारा ऐसे शुल्कों का भुगतान नही किया जाता है तो छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 324 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही हर मामले मे शुरू की जाए।

४६०. श्री अनुज सिंह, सीईई, छावनी परिषद् (निलंबित) द्वारा बहाली के लिए दिये गये प्रतिवेदन के साथ साथ भरण पोषण भत्ते की समीक्षा हेतु प्रतिवेदन ।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 347 दिंनाक 22.11.2016।

श्री अनुज सिंह, सीईई, छावनी परिषद् (निलंबित) द्वारा अध्यक्ष छावनी परिषद मे प्रेषित प्रतिवेदन दिंनाक 13.12.2016 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु एवं प्रतिवेतन दिंनाक 11.01.2017 जिसमें उन्होने उनकी सेवाओं मे बहाली का अनुरोध किया है पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि व्यक्ति दिंनाक 10.07.2016 को आईपीसी की धारा 302, 147 एवं 34 के अंतर्गत दायर एफआईआर के आधार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो बंगला संख्या 210–बी, वेस्ट एंड रोड मेरठ छावनी मे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश पर की गई ध्वस्तीकरण के दौरान हुई दुर्घटना मे 04 लोगों की मृत्यु के बाद दायर की गई थी एवं व्यक्ति को 48 घण्टे से ज्यादा गिरफ्तार रहने के कारण अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा दी गई अनुमति दिंनाक 26.07.2016 एवं जो बोर्ड द्वारा सर्कुलर एजेंडा संख्या 286 दिंनाक 04.08.2016 के माध्यम से नोट किया गया था के पश्चात कार्यालय आदेश संख्या 190 दिंनाक 27.07.2016 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया था।

जिला न्यायधीश के न्यायालय ने व्यक्ति को आदेश दिंनाक 12.09.2016 के माध्यम से मामले पर बिना किसी टिप्पणी के जमानत पर रिहा कर दिया था। हालाकि, जांच अधिकारी, पुलिस स्टेशन, सदर बाजार ने जिला न्याायधीश के न्यायालय के समक्ष दायर किया था कि एफआईआर मे लिखी धाराएं 302 से 304 आईपीसी मे बदल दिया गया।

छावनी निधि सेवा नियमावली, 1937 के नियम 10(5)(सी) के अंतर्गत अधिकारी द्वारा किया गया निलंबन या निलंबन समझा जाने वाला आदेश किसी भी समय सुधार कर वापस लिया जा सकता है।

बोर्ड ने संदर्भित छा0बो0स0 के माध्यम से पुलिस द्वारा न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल करने तक मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध मे एसएचओ, पुलिस स्टेशन, सदर बाजार ने श्री अनुज सिंह एवं अन्य के विरूद्ध अभियोग चलाने हेतु स्वीकृती मांगी थी जिसपर उनसे पत्र संख्या विविध/जी/1958 दिंनाक 01.12.2016 एवं पत्र संख्या विविध/जी/176 दिंनाक 18.01.2017 के माध्यम से श्री अनुज सिंह एवं अन्य सभी कर्मचारी जिनके नाम एफआईआर मे नाम थे के सम्बन्ध मे जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी थी परन्तु आज तक एसएचओ, पुलिस स्टेशन, सदर बाजार से न तो कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई और न ही कोई जानकारी मिली।

सम्बन्धित दस्तावेज पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

490. संकल्प

विचार कर मामले पर विस्तृत चर्चा की गई। मु.अ.अ. ने बोर्ड को सूचित किया कि जांच अधिकारी, पुलिस स्टेशन सदर बाजार द्वारा अभियोग चलाने की स्वीकृती हेतु पत्राचार के जवाब मे जांच रिपोर्ट की प्रति एवं मामले की मौजूदा स्थिति की पुष्टि हेतु अनुरोध किया गया था। जांच अधिकारी ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी पूछा कि श्री अनुज सिंह की सेवा किस नियमावली से नियंत्रित है एवं उनका अनुशासनात्कम प्राधिकारी कौन है। सम्बन्धित प्राधिकारी को कथित सूचना उपलब्ध करा दी गई थी परन्तु उसके पश्चात इस कार्यालय मे कोई पत्राचार प्राप्त नही हुआ। श्री अनुज सिंह ने अपनी बहाली के सम्बन्ध मे अध्यक्ष छावनी परिषद से व्यक्तिगत भेंट कर अपना प्रतिवेदन सौंपा। श्रीमती बीना वाधवा ने कहा कि आवेदक ने उच्च न्यायालय के वर्ष 1995 के आदेश की प्रति संलग्न की है एवं इस निर्णय के अनुसार, व्यक्ति को बहाल कर देना चाहिए। कर्नल सुबोध गर्ग ने कहा कि दिंनाक 22.11.2016 के मामले मे कोई बदलाव नही आया है एवं छा0बो0स0 संख्या 347 दिंनाक 22.11.2016 का संदर्भ दिया जिसमें बोर्ड ने सक्षम न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया था। उन्होने कहा कि छा0बो0स0 के अनुसार जब तक आरोप पत्र दाखिल नही किया जाता एवं बोर्ड के समक्ष नही रखा जाता तब तक बोर्ड को जल्दबाजी मे कोई निर्णय नही लेना चाहिए। इस सम्बन्ध मे निलंबन एवं बहाली पर सीवीसी निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है एवं इस स्थिति मे बोर्ड को निलंबन वापस नही लेना चाहिए। श्रीमती बीना वाधवा द्वारा संदर्भित 1995 का उच्च न्यायालय का आदेश भी कोई संभावना व्यक्त नही करता। एडीएम(वित्त) ने कहा कि व्यक्ति खुद या अपने

अधिवक्ता के माध्यम से आरोप पत्र की प्रति प्राप्त कर सकते है यदि वह न्यायालय मे दायर कर दी गई हो एवं प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृती दिए जाने तक मामला शुरू नही किया जा सकता। उन्होने यह भी कहा कि अधिकारिक के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज है एवं आईपीसी धारा 302 से 304ए आईपीसी मे बदल दिया गया है, विभागीय कार्यवाही शुरू होनी चाहिए एवं ऐसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देते हुए आरोप पत्र दिया जाना चाहिए जिसमें एफआईआर को आरोप बनाकर न्यायालय के द्वारा अपराधिक मामले मे निर्णय आने के पश्चात जांच कराए जाए। अध्यक्ष छावनी परिषद ने कहा कि इसके लिए छावनी परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता से सलाह ली जानी चाहिए एवं उनकी कानूनी सलाह को अगली बोर्ड बैठक मे रखी जाए। चुंकि बोर्ड ने आरोप पत्र के सम्बन्ध मे निर्णय लिया है, बोर्ड को अधिकारिक का मामला उसके विकास के बाद ही लिया जाना चाहिए। अतः, उपरोक्त बिंदुओं पर स्पष्टीकरण आने तक एवं कानूनी सलाह प्राप्त होने तक मामले को स्थगित किया गया।

आगे निर्णय लिया गया कि भरण पोषण भत्ते की वृद्धि करने के लिए नियमानुसार समीक्षा की जाए जैसा कि व्यक्ति ने अनुरोध किया है एवं इस उददेश्य के लिए मु.अ.अ. निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।

४६१. श्री अनुज सिंह, सीईई छावनी परिषद के विरूद्ध निदेशक रक्षा सम्पदा, मध्य कमान लखनऊ के समक्ष लंबित अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही।

श्री अनुज सिंह, सीईई छावनी परिषद, मेरठ के विरूद्ध लंबित जांच के मामले मे श्रीमती शोभा गुप्ता, निदेशक रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ से प्राप्त पंत्राक 01/डीआईसीपी इंक्वाईरी/एएस/2017 दिंनाक 13 फरवरी 2017 एवं अनुशासनात्मक अधिकारी/छावनी परिषद की ओर से प्रस्तुतीकरण अधिकारी श्री एमए जफर के अनुरोध पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि आरोपित अधिकारिक श्री अनुज सिंह ने जांच अधिकारी के समक्ष अपनी अनापत्ति दिंनाक 03.12.2015 प्रेषित की है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दायर याचिका संख्या 1808/2011 राजेश अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे बंगला संख्या 167, चैपल स्ट्रीट मेरठ छावनी के स्वीकृत बिल्डिंग प्लान को रदद् करने वाले संकल्प को खारिज कर दिया है।

उन्होने आगे यह भी कहा है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विषय गत मामले पर निर्णय के आने के बाद भी जांच जारी रखना तथ्यों के विरूद्ध है एवं यह अवमानना है एवं उन्होने आगे अनुरोध किया है कि बंगला संख्या 167, चैपल स्ट्रीट मेरठ छावनी के बिल्डिंग प्लान की स्वीकृती के मामले मे जांच को समाप्त कर दिया जाए। जांच अधिकारी ने पत्र संख्या 13.02.2017 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण अधिकारी को तत्काल जवाब अग्रेषित करने के लिए कहा है।

बोर्ड को सूचनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली की एकल पीठ के निर्णय के बाद भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष एलपीए संख्या 1051/2011 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम राजेश अग्रवाल दायर की। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने निर्णय दिंनाक 18.02.2016 के माध्यम से एलपीए खारिज कर दी।

प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा एवं महानिदेशालय रक्षा सम्पदा से पत्र दिंनाक 09.03.2016 के माध्यम से इस मामले पर एसएलपी दायर करने के लिए निदेश देने का अनुरोध किया गया था। उसके पश्चात, दिंनाक 15.03.2016, 19.03.2016, 11.04.2016, 11.05.2016, 14.06.2016, 30. 07.2016, 12.08.2016, 08.09.2016, 07.10.2016, 03.11.2016, 29.11.2016 एवं 13.12.2016 को अनुस्मारक दिए गए। प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा ने भी दिंनाक 13.12.2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय मे एसएलपी दायर करने के लिए सुझाव/स्वीकृती के लिए महानिदेशालय को अनुस्मारक भेजा। मामला अभी भी सक्षम अधिकारी के विचारणीय है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय मे आदेश को चुनौती देने के सम्बन्ध मे कोई अंतिम निर्णय नही हुआ है।

प्रस्तुतीकरण अधिकारी ने छावनी परिषद की ओर से प्रस्तुतीकरण अधिकारी होते हुए जांच अधिकारी के पत्र संख्या 13.02.2017 के अनुसरण मे अनापत्ति दायर करने के लिए निर्देश मांगे है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले। जांच अधिकारी को आगे की जांच प्रक्रियाके लिए उपरोक्तानुसार सूचित करना है।

491. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि छावनी परिषद की ओर से श्री अनुज सिंह, सीईई के विरूद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही मे जांच अधिकारी के समक्ष अनापत्ति दायर की जाए। बंगला संख्या 167, चैपल स्ट्रीट मेरठ छावनी के मामले मे माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का निर्णय उच्च अधिकारियों के पास लंबित है। आरोपी अधिकारिक के विरूद्ध लगाए गए आरोप निर्णय के भिन्न है एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई अवमानना नही की गई हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र मे लिए गए तथ्यों एवं मुकदमें की स्थिति सहित एक विस्तृत जवाब जांच अधिकारी को भेजा जाए। मु.अ.अ. प्रस्तुतीकरण अधिकारी के माध्यम से बोर्ड की ओर से जांच अधिकारी के समक्ष अनापत्ति/जवाब तैयार करने हेतु अधिकृत है।

४६२. छावनी जनरल अस्पताल, मेरठ छावनी मे डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण।

छावनी जनरल अस्पताल, मेरठ छावनी में निश्चित मासिक मानदेय आधार पर विशेषज्ञ के रूप मे नियुक्त डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद् के द्वारा निम्नलिखित चिकित्सक एक वर्ष की अवधि हेतु निश्चित मानदेय पर नियुक्त गए थे जिनकी विवरण निम्न हैः—

क्रम	चिकित्सक का नाम	विशेषज्ञता	मानदेय राशि
1	डा0 सत्येन्द्र कुमार सांगवान	जीडीएमओ	रू 35,000/—
2	डा0 जसमीत गुजराल	होमियोपैथी	रू 10,000/—

बोर्ड को सूचनीय है कि उपरोक्त कथित चिकित्सकों ने अनुरोध किया है कि उनकी संविदाओं का मौजूदा नियम एवं शर्तों पर नवीनीकरण कर दिया जाए।

आर.एम.ओ कैन्ट जनरल अस्पताल ने भी अपने पत्र दिंनाक 09.02.2016 के माध्यम से अस्पताल मे मौजूदा सेवाएं जारी रखने के लिए संविदा के नवीनीकरण का अनुरोध किया है क्योकिं उनका कार्य एवं आचरण छावनी जनरल अस्पताल मे सेवाएं जारी रखने के लिए सतोंषजनक है।

बोर्ड को सूचनीय है कि डा0 सत्येन्द्र कुमार सांगवान ने उनके मासिक मानदेय की समीक्षा का भी अनुरोध किया है।

चिकित्सकों के साथ साथ आर.एम.ओ के प्रार्थना पत्र पट्ल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

492. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यसूची मे उल्लिखित जीडीएमओ एवं होमियोपैथ की संविदा का नवीनीकरण कर मौजूदा नियम एवं शर्तों पर समान मानदेय पर एक अन्य वर्ष के लिए बढा दिया जाए।

४६३. छावनी जनरल अस्पताल, मेरठ छावनी मे पैरामैडिकल स्टाफ की संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण।

छावनी जनरल अस्पताल, मेरठ छावनी में पैरामैडिकल स्टाफ की संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद् ने निम्नलिखित पैरामैडिकल स्टाफ को एक वर्ष की अवधि हेतु से संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था :–

क्रम	नाम	विशेषज्ञता	मानदेय राशि
1	श्री प्रहलाद सिंह	लैब टैक्निशीयन	रू 15,000/–
2	अगनीश अमांडो शाह (मंजू शाह)	स्टाफा नर्स	रू 15,000/–

मौजूदा अनुबंध दिंनाक 20.02.2017 को समाप्त हो रहा है एवं उपरोक्त कर्मचारियों ने अपने पत्रों के माध्यम से एक अन्य वर्ष हेतु नवीनीकरण करने का अनुरोध किया है। आर.एम.ओ कैन्ट जनरल अस्पताल ने भी अस्पताल मे सेवाएं जारी रखने के लिए अपने पत्र के माध्यम से संविदा के नवीनीकरण का अनुरोध किया है क्योकिं उनका कार्य एवं आचरण छावनी जनरल अस्पताल मे सेवाएं जारी रखने के लिए सतोंषजनक है।

आर.एम.ओ से प्राप्त पत्र के साथ साथ सम्बन्धित स्टाफ के प्रार्थना पत्र पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

493. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यसूची मे उल्लिखित पैरामैडिकल स्टाफ की संविदा का नवीनीकरण कर मौजूदा नियम एवं शर्तों पर समान मानदेय पर एक अन्य वर्ष के लिए बढा दिया जाए।

४९४. मोशन

श्रीमती मन्जू गोयल, सदस्य द्वारा मोशन दिंनाक 13.02.2017 पर विचार करने हेतु।

It is a great innovation and initiative step taken by Administration Authorities and staff of Cantonment Board Meerut to have the Meerut Cantt to be declared under Smart Cantt Project. There are some projects which need attention under Smart Cantt Scheme. So your kind office is kindly requested to have prepared the ESTIMATE of the projects laid down below and put before Board for sanction and accordingly forwarding the same for approval of higher authorities if necessary.

1. Mini Stadium cum Shopping Arcade cum Parking Plaza at Bhaisali Ground, Meerut Cantt.
2. Cantonments Shopping Market cum Resting Lodge at City Railway Station Market.
3. Shopping Arcade cum Cineplex at Bungalow No. 182.
4. Multi Level Parking cum shopping Arcade at Bungalow No. 173.
5. Conversion of West End Road into 'C' Class land and developing the same into Walking Street Zone
6. Conversion of PGL's into Bio Digested PGL's.

You kind office is requested to have prepared the estimate and report, of all for sanction of board and approval of higher authorities, if necessary.

सम्बन्धित मोशन पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

494. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि सुझावित परियोजनाओं पर मु.अ.अ. द्वारा उनके संभावित होने पर अध्यनन किया जाए एवं उसके पश्चात जो सही लगे बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

आगे निर्णय लिया गया कि उल्लिखित मोशन मे क्रम संख्या 3 को बंगला संख्या 182 के स्थान पर बंगला संख्या 180 पढा जाए। बोर्ड ने सदस्य द्वारा मोशन मे उठाए गए मुददों को सराहा गया।

श्रीमती मंजू गोयल ने एक लिखित नोट दिया जो नीचे चस्पा हैः–

बिन्दु सं0 494 मे नोट करने हेतु

अध्यक्ष महोदय,

पूर्व बोर्ड बैठक मे भी कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली को मेरे द्वारा सराहा गया था। अध्यक्ष महोदय आज भी आपके सानिध्य मे व सी0ई0ओ0 महोदय के दिशा–निर्देशन मे छावनी परिषद नई ऊँचाईयों को छू रहा है और स्मार्ट कैन्ट के सपने को असली अमलजामे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

पूर्व बोर्ड बैठक व्यतीत हुए अभी एक माह ही हुआ है और छावनी प्रशासन द्वारा वर्किंग वूमेन हॉस्टल, स्मार्ट पोलिंग बूथ, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व सीवरेज के प्रोजेक्टों को स्मार्ट कैन्ट के तहत अमल मे लाया गया है, जोकि निःसंदेह सी0ई0ओ0 महोदय की कार्यशैली का ही परिणाम है। महोदय स्मार्ट कैन्ट के अंतर्गत इस बिन्दु के माध्यम से मै यह अवगत कराती हूँ कि मेरठ छावनी मे स्थित भैंसाली ग्राउंड, मेरठ कैन्ट मे एक मिनी स्टेडियम कम शॉपिंग मार्केट बनाया जाए क्योकिं खेल को बढावा देना भारत सरकार की भी नीति है और ओलम्पिक व अंर्तराष्ट्रीय आयोजनों मे खिलाडियों को मेडल लाने के लिए पहले हमे मूलभूत सुविधायें खिलाडियों को देनी चाहिए, जिसमें यह स्टेडियम एक माध्यम बन सकता है। जहां तक रेवन्यू का सवाल है इसके अंतर्गत प्रस्तावित शॉपिंग मार्किट मे एक–एक दुकान की कीमत करोडों रूपये होगी, जिससे काफी रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है।

दूसरी ओर सिटी रेलवे स्टेशन स्थित छावनी परिषद की मार्केट पर भी रेस्टिंग लॉज/विज्ञाम गृह बनाया जाए क्योकि यह एक मात्र स्टेशन है जहां हजारों यात्री रोजाना आते–जाते है और इस स्टेशन के आस–पास कोई भी विज्ञाम गृह नही है। सुविधाएं देना भी एक स्मार्ट कैन्ट की योजना है और साथ–साथ यह आय का साधन भी बनेगा।

आपका ध्यान मै छावनी के कर्नाट पैलेस आबूलेन पर स्थित दो महत्वपूर्ण जगहों पर प्रकाश डाल रही हूँ, जिसमें बंगला नं0 173 व 182 है, जिनकी खाली भूमि की कीमत ही करोडों रूपये है। अगर यहाँ शॉपिंग मार्केट कम सिनेमा प्लेक्स व मल्टीलेविल पार्किंग के प्रोजेक्ट को अमलजामा पहना दिया जाए, तो यह प्रोजेक्ट मेरठ छावनी के सबसे बडे आय के साधन होंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मेरठ छावनी की शान मॉल रोड हमारे लिए एक मिसाल है। वार्ड–6 स्थित वेस्टर्न रोड के आधार पर विकसित किया जाए। इस सडक पर हजारों बच्चों व अभिभावक व आमजनता गुजरती है, सभी प्रमुख स्कूल व मन्दिर इस रोड से जुडे है अगर यह रोड माल रोड के आधार पर विकसित की जाए तो यह सडक भी मील का पत्थर कहलाएगी। अध्यक्ष या तो एम0ई0एस0 द्वारा यह सडक विकसित की जाए यह इसे छावनी प्रशासन के अधीन कर दी जाए।

अध्यक्ष महोदय साथ ही स्मार्ट कैन्ट योजना के तहत छावनी मे स्थित सभी 34 PGL को बायोडायस्टिड PGL मे तब्दील कर दिया जाए।

अन्त मे मै अध्यक्ष महोदय के सान्निध्य व सी0ई0ओ0 महोदय की कार्यशैली की प्रशंसा करती हूँ और भविष्य मे भी इसी प्रकार प्रगति की ओर अग्रसर की कामना करती हूँ।

495. MOTION

श्रीमती बीना वाधवा, उपाध्यक्ष, श्रीमती रिनी जैन, श्रीमती बुशरा कमाल, श्री नीरज राठौर, श्रीमती मन्जू गोयल, सदस्य छावनी बोर्ड द्वारा दिए गए मोशन दिंनाक 18.02.2017 पर विचार करने हेतुः–

महोदय छावनी परिषद् संकल्प संख्या 317, दिंनाक 19.09.2016 मे छावनी परिषद् क्षेत्र मे सरकारी भूमि का उपयोग तहबाजारी बॉयलाज के अंतर्गत इस्तेमाल करने वाले छोटे व्यापारी के लिए मासिक तहबाजारी दर 100 वर्ग फुट भूमि के लिए जोकि रू 122 से लेकर रू 930 प्रतिमाह तहबाजारी शुल्क छावनी परिषद् द्वारा वसूल किया गया था अब उसे बढाकर 2250रू से 4500 रू किया गया है जिससे छोटे व्यापारी इतना अधिक बोझ वहन करने मे असमर्थ हो रहे है जबकि प्रतिदिन तहबाजारी की दर 100 बर्ग फुट भूमि इस्तेमाल करने के लिए 60रू प्रतिदिन एवं मासिक 1800 होती है जिसें छावनी परिषद् संकल्प संख्या 368, दिंनाक 22.11.2016 को संस्तुति किया गया है। दोनो संकल्प मे आपस मे विरोधाभास है क्योकि एक मे 100 वर्ग फुट भूमि इस्तेमाल करने के लिए व्यापारी को 60रू देना है, दूसरे संकल्प मे व्यापारी को 100 वर्ग फुट भूमि

इस्तेमाल के लिए 75रू से 150रू प्रतिदिन देना है। प्रतितदन तहबाजारी देने वाला व्यापारी किसी दिन अनुपस्थित भी रह सकता है इसलिए उससे मात्र 26 दिन की तहबाजारी फीस छावनी परिषद को प्राप्त होती है। जोकि 1440 रू होती है, इसलिए छावनी क्षेत्र के सभी छोटे व्यापारी 100 वर्ग फुट भूमि तहबाजारी बॉयलाज के अंतर्गत इस्तेमाल कर रहे है उनसें सम्पूर्ण छावनी क्षेत्र मे 1500 रू प्रतिमाह वर्ग फुट भूमि इस्तेमाल करने की तहबाजारी फीस ली जाए। श्रीमान जी हमारे इस मोशन/प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक मे लगाने की कृपा करे।

दिंनाक 18.02.2017

Sdxx/-
1. बीना वाधवा
उपाध्यक्ष, छावनी परिषद

Sdxx/-
2. रीनी जैन
सदस्य वार्ड –01

Sdxx/-
3. बुशरा कमाल
सदस्य वार्ड –02

Sdxx/-
4. नीरज राठौर
सदस्य वार्ड –04

Sdxx/-
4. अनिल जैन
सदस्य वार्ड –05

6. मंजू गोयल
सदस्य वार्ड –06

7. धर्मेन्द्र सोनकर
सदस्य वार्ड –07

8. विपिन सोढी
सदस्य वार्ड –08

495. संकल्प

विचार कर कार्यालय द्वारा मामले पर अध्यनन करने हेतु मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया जिसे बोर्ड के समक्ष कार्यालय रिपोर्ट के साथ रखा जाएगा।

496. MOTION

श्रीमती बुशरा कमालसदस्य छावनी बोर्ड द्वारा दिए गए मोशन दिंनाक 20.02.2017 पर विचार करने हेतुः–

महोदय मॉल रोड से लालकुर्ती बडा बाजार मुडने के लिए दोपहिया–चौपहिया व पैदल चलने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पडता है कही कोई हादसा न हो जाए तेज रफतार से आने–जाने वालों के कारण लोगों को काफी काफी देर तक सडक पर रूकने को मजबूर होना पडता है क्योकि इस मोड पर अकसर हादसें होते रहते है कई बार लोगों की जानें भी जा चुकी है। श्रीमान जी मॉल रोड स्थित रॉयल होटल के निकट पूर्व मे बना एक फव्वारा है उक्त फव्वारें को उक्त स्थान से हटाकर मॉल रोड के बीच मे एक सोलर ट्री लगा दिया जाए।

इसके अलावा मॉल रोड स्थित थाना लालकुर्ती वाला तिराहा भी काफी खतरनाक है छोटे बाजार की ओर मुडने वाले लोगों को भी काफी असुविधा का सामना करना पडता है इस मोड पर भी पूर्व मे कई हादसे हो चुके है इस मोड पर भी एक तिराहा बनाने की कृपा करें मेरे इस मोशन/प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक मे लगाने की कृपा करें।

496. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि जगह एवं ढांचे का कार्यालय के अभियांत्रिक/विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण किया जाए एवं एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए एवं जिसे सुझाव सहित विचार एवं निर्णय हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

497. MOTION

श्रीमती बुशरा कमालसदस्य छावनी बोर्ड द्वारा दिए गए मोशन दिंनाक 20.02.2017 पर विचार करने हेतुः–

महोदय छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र को स्मार्ट बनाने का प्रयास एक सराहनीय कदम है लेकिन मेरे वार्ड न0 2 का बूचरी रोड स्मार्ट कैन्ट के नाम पर एक बदनुमा दाग है पिछले लगभग 20 वर्षों से इस मार्ग पर कोई ध्यान नही दिया गया है मै भी कई बार इस मार्ग का चौडीकरण व डेंट कारपेटिंग का कार्य कराने के लिए मौखिक व लिखित मे अपना प्रस्ताव दे चुकी हूँ मेरा अनुरोध है कि इस बूचरी रोड का चौडीकरण, डेंस कार्पेंटिंग व इस मार्ग के बीच मे डिवाईडर बनोने की कृपा करें श्रीमान जी यह कार्य होने से मॉल रोड पर ट्रेफिक का दबाव कम होगा और लोग इस मार्ग पर वॉक (सैर) भी करने लगेंगे। मेरे इस मोशन/प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक मे लगाने की कृपा करें।

497. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि मामले को विकास योजना की सूची मे डाला जाए एवं संभावित परीक्षण करके खर्च का आंकलन निकाला जाए। मु.अ.अ. ने सुझाया कि परियोजना/कार्य को विशेष अनुदान के लिए लिया जाए, जिस पर बोर्ड ने सहमति दी।

४६८. छावनी परिषद, मेरठ को मानवश्रम उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी की नियुक्ति की निविदा।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 357 दिंनाक 22.11.2016।

छावनी परिषद मेरठ को मानवश्रम उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी की नियुक्ति के सम्बन्ध मे दिंनाक 23.11.2016 को आयोजित हुई वित्त समिति की विशेष बैठक की संस्तुति पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि वित्त समिति ने न्यूनतम बोलीकर्ता को निविदा देने की संस्तुति की है।

वित्त समिति की रिपोर्ट सहित सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

४६८. संकल्प

विचार कर मामले को कार्यालय द्वारा रिपोर्ट हेतु स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

४६६. छावनी निधि दुकानों के हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे वृद्धि।

मेरठ छावनी की सीमा मे विभिन्न स्थानों पर स्थित छावनी निधि दुकान/गोदाम/प्लैटफॉर्म/फड/स्टॉल/कमरे आदि के हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे वृद्धि पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि बोर्ड ने मेरठ छावनी की सीमा मे विभिन्न स्थानों पर 403 संख्या की दुकानें/गोदाम/प्लैटफॉर्म/फड/कमरों का निर्माण किया है एवं जीओसी इन सी, म0क0 की स्वीकृति पर 30 वर्षों के लिए लीज पर एसएफएस के अंतर्गत या छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 200 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए जिसका नवीनीकरण वार्षिक आधार पर होगा।

अधिकतर सम्पत्तियों की लीज/लाईसेंस अवधि समय समय पर समाप्त हो चुकी है। निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान ने भी पत्र संख्या 56612/कानपुर/शॉपस/कैन्ट/14 दिंनाक 23.05.2014 के माध्यम से निर्देश दिए है कि जिन दुकानों की लीज समाप्त हो गई है उनकी नीलामी की जाए एवं यह भी विस्तृत रूप से बताया है कि यदि नीलामी पर विचार नही किया जाता है तो जीओसीइनसी, म0क0 की स्वीकृती प्राप्त कर लीज को एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। अतः, बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 267 के अंतर्गत एक वर्ष के अस्थायी लाईसेंस कुछ दुकानदारों का जीओसी इन सी की स्वीकृती की शर्त पर दिए गए थे। तद्वनुसार, मामला जीओसी इन सी, म0क0 लखनऊ को स्वीकृती के लिए भेजा गया था जो अभी भी लंबित है।

लगभग 100 दुकानों के अधिभोगियों ने छावनी निधि दुकानों का कब्जा या तो कानूनी उत्तराधिकारी या वास्तविक आवंटी से आपसी समझौते से लिया है। अधिभोगियों के अवैध होने के कारण, अभिलेख के अनुसार छावनी परिषद उनसे किराया/लाईसेंस शुल्क नही वसूल रहा है। वह छावनी निधि दुकानों का बिना किसी राशि का भुगतान किए प्रयोग कर रहे है।

प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा ने पत्र संख्या 35748/एमआरटी/2000–2001/एलसी5 दिंनाक 12.06.2001 के माध्यम से बाउंड्री रोड पर नवनिर्माण दुकानों के हस्तांतरण शल्क लगाए है। विवरण निम्न हैः–

1. प्रथम वर्ष से 5 वर्ष मे हस्तांतरण – जमा का 5 प्रतिशत
2. छठे वर्ष से 10 वर्ष मे हस्तांतरण – जमा का 7 प्रतिशत
3. ग्हारवें वर्ष से 15 वर्ष मे हस्तांतरण – जमा का 10 प्रतिशत
4. सोलह वर्ष से 20 वर्ष मे हस्तांतरण – जमा का 12 प्रतिशत
5. इक्किसवें वर्ष से 30 वर्ष मे हस्तांतरण – जमा का 15 प्रतिशत

बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 587 दिंनाक 29.05.2002 के माध्यम से मेरठ छावनी की सीमा मे विभिन्न स्थानों पर स्थित निम्नलिखित दुकानों के लिए हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क लगाया हैः–

1	Shops Boundary Road	75,000/-
2	Shops Vikas Bazar	25,000/-
3	Shops Sanjay Gandhi Market	50,000/-

4	Shops in Campus of Cantt General Hospital	30,000/-
5	Shops Rohta Phatak	20,000/-
6	Shops City Railway Station	30,000/-
7	Shops Delhi Road/Abu Lane	75,000/-
8	Godown Mangal Pandey Bazar	20,000/-
9	Arhat Phar	30,000/-
10	platforms Sadar Sabji Mandi	20,000/-
11	Bakeries/Rooms/Stall, BI Market	30,000/-
12	Meat stall other area	10,000/-
13	Shop measuring 5' x 5'	10,000/-

वर्ष 2008 मे, छा0बो0स0 संख्या 673 दिंनाक 14.08.2008 के माध्यम से बोर्ड ने दिल्ली रोड/आबुलेन पर छावनी निधि दुकानों के हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे संशोधन करते हुए अवैध अधिभोगियों के लिए रू 82,500 एवं कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए 1500रू किये। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 759 दिंनाक 29.09.2008 के माध्यम से मंगल पाण्डे बाजार मे छावनी निधि गोदामों के हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे भी संशोधन करते हुए अवैध अधिभोगियों के लिए रू 22,000 एवं कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए 1500रू किये।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि 7वें वेतन कमीशन रिपोर्ट के लागू होने एवं आम चीजों एवं सेवाओं की कीमत मे बढोत्तरी के कारण, छावनी परिषद के राजस्व मे वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि बोर्ड अधिभोगी अधिकारों के हस्तांतरण/नियमीकरण के लिए वसूले जाने वाले उपरोक्त शुल्क मे संशोधन करें। कथित शुल्क मे बढोत्तरी के पश्चात बोर्ड को छावनी निधि दुकानों के केवल अवैध अधिभोगियों से ही हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क से ही रू 1,00,00,000/– की प्राप्ति होगी।

छावनी निधि सम्पत्तियों के अवैध अधिभोगियों/कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए प्रस्तावित हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क निम्न हैः–

S. No.	**Cantt Fund Shop etc and Location**	**Area of shops (approx in Sqmtr)**	**Present transfer/ regularization fee**		**Proposed transfer/ regularization fee**	
			U/a occupants	**Legal heirs**	**U/a occupants**	**Legal heirs**
1	Shops Boundary Road	24-30	75,000/-	750/-	2,00,000/-	25% of proposed transfer/regularization fee
2	Shops Vikas Bazar	18-20	25,000/-	250/-	75,000/-	-do-
3	Shops Sanjay Gandhi Market	6-12	50,000/-	500/-	1,00,000/-	-do-
4	Shops in Campus of Cantt General Hospital	10-12	30,000/-	300/-	1,00,000/-	-do-
5	Shops Rohta Phatak	6-10	20,000/-	200/-	40,000/-	-do-
6	Shops City Railway Station	9-10	30,000/-	300/-	60,000/-	-do-
7	Shops Delhi Road/Abu Lane	60-80	82500/-	1500/-	2,50,000/-	-do-
8	Godown Mangal Pandey Bazar	30-40	20,000/-	1500/-	50,000/-	-do-
9	Arhat Phar	16-20	30,000/-	300/-	60,000/-	-do-
10	platforms Sadar Sabji Mandi	6-10	20,000/-	200/-	40,000/-	-do-
11	Bakeries/Rooms/Stall, BI Market	6-90	30,000/-	300/-	60,000/-	-do-
12	Meat stall other area	6-30	10,000/-	100/-	50,000/-	-do-
13	Shop measuring 5' x 5'	2.5	10,000/-	100/-	20,000/-	-do-

बोर्ड नियमीकरण के लिए नियम एवं शर्तों को बनाने एवं हस्तांतरण/नियमीकरण के आवेदन के लिए समय निर्धारित करने पर भी विचार कर सकता है। बोर्ड उन अवैध अधिभोगी जिन्होने लाईसेंस शुल्क जमा नही किया है से बकाया राशि वसूलने पर भी विचार कर सकता है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

499. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए गोदामों/फडों एवं स्टॉलों आदि के अधिभोगी अधिकारों कों मौजूदा अधिभोगियों के नाम पर नियमित कर दिया जाए एवं अधिभोगियों से कार्यसूची मे उल्लिखित हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क या एसटीआर आधार पर हस्तांतरण शुल्क की गणना कर दोनों मे जो भी अधिक हो वसूला जाए। मु.अ.अ. डीएम सर्किल रेट/एसटीआर के अनुसार गणना शीट तैयार कराने के लिए अधिकृत है। यदि ऐसी गणना कार्यसूची मे प्रस्तावित दरों से कम पाई जाती है तो कार्यसूची मे उल्लिखित प्रस्तावित दरों की ही वसूली की जाए।

अधिभोग अधिकारों की अवधि नियमीकरण से एक वर्ष के लिए होगी एवं उसके पश्चात, छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

आगे निर्णय लिया गया कि सम्पत्तियों मे बोर्ड के हित को बचाने के लिए अधिभोगियों के साथ आवश्यक अनुबंध किया जाए जिसके लिए कार्यालय नियम एवं शर्तें तैयार करेगा। श्रीमती मंजू गोयल ने लिखित नोट दिया जो नीचे चस्पा हैः–

बिन्दु सं0 499 मे नोट करने हेतु

छावनी परिषद मेरठ में करीबन 403 दुकानें/गोदाम/प्लेटफॉर्म/फर/स्टॉल/करने आदि है, जिन्हे छावनी परिषद समय–समय पर अलॉट करता आ रहा है। समय की परिस्थितियों मे कई दुकानों आदि मे अवैध कब्जेदारों व लीगल हायरों के कारण रसीद नही काटी जा रही है। अवैध कब्जेदारों व लीगल हायरों पर प्रस्तावित ट्रांस्फर/रेगुलाईजेशन फीस बिल्कुल ठीक है, इन्हे जल्द से जल्द अमल में लाकर सी0ई0ओ0 महोदय के माध्यम से वसूली की जाए।

५००. २०१६–१७ के दौरान कराए जाने वाले रखरखाव कार्यों के लिए वार्षिक निविदा।

बोर्ड को सूचनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्रावधान (वा) के अनुसार, 2016–17 मे कराए जाने वाले वार्षिक रखरखाव/विकास कार्यों/टीसी कार्यों के लिए प्रथम बार 15.06.2016 को http://eprocure.gov.in/eprocure/app पोर्टल पर अखबारों मे प्रकाशन के माध्यम से ई – निविदाएं इनके लिए आमंत्रित की गई थीः–

Table No.1

S. No.	PARTICULAR	ESTIMATED COST (in Rs)	TENDER COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	COMPLETION DATE

1.	Term Contract				
	(i) Repair/maintenance of Cantt Fund buildings i.e Cantt Board office/ sanitary godowns/bldg structures in gandhi bagh/meat shops/ slaughter houses/ cattle ponds buildings etc other than staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing,fencing and development sites, parks, culverts & dustbins, urinals & pgl's	30,00,000/-	5000/-	75,000/-	31.03.2017
	(ii) Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund staff quarters/assets other than Cantt Fund building, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing,fencing and development sites, parks, culverts & dustbins, urinals & pgl's	35,00,000/-	5000/-	87,500/-	31.03.2017
	(iii) Repair/maintenance/improvement of footpath road side railing/fencing and development sites/parks/man holes etc other than Cantt Fund buildings, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, culverts & dustbins, urinals & pgl's	35,00,000/-	5000/-	87,500/-	31.03.2017
	(iv) Repair/maintenance/improvement of culverts & dustbins in Cantt area other than Cantt Fund building, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing, fencing and development sites, parks, urinals & pgl's	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(v) Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund urinals & pgl's in Cantt area other than Cantt Fund buildings, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing, fencing and development sites, parks, culverts & dustbins	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(vi) Annual white washing/colour washing/painting	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(vii) Petty repair works in cantt area	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
2.	Repair/maintenance/improvement of Cantt General Hospital	37,00,000/-	5000/-	92,500/-	31.03.2017
3.	Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund schools i.e. CAB inter college/Adharshila public school & primary schools of Cantt Board	47,00,000/-	5000/-	1,17,500/-	31.03.2017
4.	Repair/maintenance of Cantt. Fund Roads by Hot Mix Paver Finisher system	2,00,00,000/-	5000/-	5,00,000/-	31.03.2017
5.	Repair/maintenance of road cuts/trenches ramps/widening of roads	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
6.	Repair/maintenance of nalas in Cantt area	90,00,000/-	5000/-	2,25,000/-	31.03.2017
7.	Repair/maintenance of drains in Cantt area	64,00,000/-	5000/-	1,60,000/-	31.03.2017
8.	Repair/maintenance of pavements (Roadside berms, streeet/lanes and Cantt Fund building) by interlocking tiles & PCC etc.	80,00,000/-	5000/-	2,00,000/-	31.03.2017

क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित कार्य के लिए निविदा प्राप्त हुई थी एवं उसे बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 संख्या 287 दिंनाक 12.09.2016 के माध्यम से अनुमोदित कर दिया गया था। शेष बचे कार्यों के पुनः ई निविदा दिंनाक 16.07.2016 को आमंत्रित की गई थी। प्रकाशन/आमंत्रण के बाद भी निम्नलिखित कार्यों के लिए किसी बोली कर्ता/सक्षम बोली कर्ता ने भाग नही लिया। अतः तीसरी बार समान वर्ग मे ई–निविदाएं आमंत्रित की गई जो निम्न हैः–

Table No.2

S. No.	PARTICULAR	ESTIMATED COST (in Rs)	TENDER COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	COMPLETION DATE
1.	Term Contract				
	(i) Repair/maintenance of Cantt Fund buildings i.e Cantt Board office/ sanitary godowns/bldg structures in gandhi bagh/meat shops/ slaughter houses/ cattle ponds buildings etc other than staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing,fencing and development sites, parks, culverts & dustbins, urinals & pgl's	30,00,000/-	5000/-	75,000/-	31.03.2017
	(ii) Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund staff quarters/assets other than Cantt Fund building, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing,fencing and development sites, parks, culverts & dustbins, urinals & pgl's	35,00,000/-	5000/-	87,500/-	31.03.2017
	(iii) Repair/maintenance/improvement of footpath road side railing/fencing and development sites/parks/man holes etc other than Cantt Fund buildings, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, culverts & dustbins, urinals & pgl's	35,00,000/-	5000/-	87,500/-	31.03.2017
	(iv) Repair/maintenance/improvement of culverts & dustbins in Cantt area other than Cantt Fund building, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing, fencing and development sites, parks, urinals & pgl's	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(v) Annual white washing/colour washing/painting	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(vi) Petty repair works in cantt area	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
2.	Repair/maintenance/improvement of Cantt General Hospital	37,00,000/-	5000/-	92,500/-	31.03.2017
3.	Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund schools i.e. CAB inter college/Adharshila public school & primary schools of Cantt Board	47,00,000/-	5000/-	1,17,500/-	31.03.2017
4.	Repair/maintenance of road cuts/trenches ramps/widening of roads	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
5.	Repair/maintenance of nalas in Cantt area	90,00,000/-	5000/-	2,25,000/-	31.03.2017
6.	Repair/maintenance of drains in Cantt area	64,00,000/-	5000/-	1,60,000/-	31.03.2017
7.	Repair/maintenance of pavements (Roadside berms, streeet/lanes and Cantt Fund building) by interlocking tiles & PCC etc.	80,00,000/-	5000/-	2,00,000/-	31.03.2017

क्रम संख्या 1(5) एवं क्रम संख्या 7 के लिए ही निविदाए प्राप्त हुई एवं बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 संख्या 337 एवं 338 दिंनाक 19.09.2016 के माध्यम से अनुमोदित किया गया। इसी बीच, स्मार्ट कैन्ट परियोजना के अंतर्गत छा0बो0स0 संख्या 289 दिंनाक 12.09.2016 के माध्यम से रेन वॉटर हारवेंस्टिंग योजना का अनुमोदन किया गया। अतः, वित्तीय वर्ष 2016–17 के मौजूद बजट प्रावधान के अनुसार चौथी बार दिंनाक 24.10.2016 को निविदाएं आमंत्रित की गईः–

Table No.3

S. No.	PARTICULAR	ESTIMATED COST (in Rs)	TENDER COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	COMPLETION DATE
1.	Term Contract				

	(i) Repair/maintenance of Cantt Fund buildings i.e Cantt Board office/ sanitary godowns/bldg structures in gandhi bagh/meat shops/ slaughter houses/ cattle ponds buildings etc other than staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing,fencing and development sites, parks, culverts & dustbins, urinals & pgl's	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(ii) Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund staff quarters/assets other than Cantt Fund building, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing,fencing and development sites, parks, culverts & dustbins, urinals & pgl's	25,00,000/-	3000/-	62,500/-	31.03.2017
	(iii) Repair/maintenance/improvement of footpath road side railing/fencing and development sites/parks/man holes etc other than Cantt Fund buildings, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, culverts & dustbins, urinals & pgl's	35,00,000/-	5000/-	87,500/-	31.03.2017
	(iv) Repair/maintenance/improvement of culverts & dustbins in Cantt area other than Cantt Fund building, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing, fencing and development sites, parks, urinals & pgl's	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(v) Petty repair works in cantt area	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
	(vi) Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund urinals & pgl's in Cantt area other than Cantt Fund buildings, staff quarters, Cantt Gen. Hospital, Cantt Fund schools, footpaths, road side railing, fencing and development sites, parks, culverts & dustbins	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
2.	Repair/maintenance/improvement of Cantt General Hospital	10,00,000/-	3000/-	25,000/-	31.03.2017
3.	Repair/maintenance/improvement of Cantt Fund schools i.e. CAB inter college/Adharshila public school & primary schools of Cantt Board	15,00,000/-	3000/-	37,500/-	31.03.2017
4.	Repair/maintenance of road cuts/trenches ramps/widening of roads	20,00,000/-	3000/-	50,000/-	31.03.2017
5.	Repair/maintenance of nalas in Cantt area	90,00,000/-	5000/-	2,25,000/-	31.03.2017
6.	Repair/maintenance of drains in Cantt area	64,00,000/-	5000/-	1,60,000/-	31.03.2017

बोर्ड को सूचनीय है कि निम्नलिखित कार्यों के लिए न तो कोई निविदा प्राप्त हुई और न ही किसी बोलीकर्ता ने भाग लिया।

Table No.4

S.No	PARTICULAR
1.	Repair/mntc/ Improvement of culverts & dustbins in Cantt area
2.	Repair/mntc/ Improvement Cantt fund urinals & PGL's in Cantt area
3.	Repair of Electric wiring/fitting internal & external in CF Buildings/ assets & in Cantt area
4.	Petty repair works in Cantt area
5.	Repair of Nalas
6.	Repair of Drains
7.	Repairing of road cuts/ trenches ramps/Widening of Roads

2016–17 के दौरान विकास कार्यों के लिए निम्न निविदाएं अनुमोदित किए गएः–

Table No.5

Sr. No.	Tender	Amount (Rs.)	Approved Contractor
1	Annual repair/maintenance of cantt fund buildings i.e cantt board office/ sanitary godowns/bldg structures in gandhi bagh/meat shops/ slaughter houses/ cattle ponds buildings etc	20,00,000/-	M/s Rain People 109, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut.
2	Annual repair/maintenance/improvement of cantt fund staff quarters/assets	25,00,000/-	M/s Shri Sidhh Vinayak Contractor Vill + Post – Poothi, Distt. Meerut.
3	Annual repair/maintenance/improvement of footpath road side railing/fencing and development sites/parks/man holes etc	35,00,000/-	M/s Rain People 109, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut.
4	Annual repair/maintenance/improvement of cantt general hospital	10,00,000/-	M/s Rain People 109, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut.
5	Annual repair/maintenance/improvement of cantt fund schools i.e. CAB inter college/Adharshila public school & primary schools of cantt board	15,00,000/-	M/s Shri Sidhh Vinayak Contractor Vill + Post – Poothi, Distt. Meerut.
6	Annual white washing/colour washing/painting	20,00,000/-	M/s Vision Constructions 59/B, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut.
7	Repair/maintenance of pavements (Roadside berms, streeet/lanes and Cantt Fund building) by interlocking tiles & PCC etc.	80,00,000/-	M/s Juneja Construction Pvt Ltd A-182, Ground Floor, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-17.
8	Annual repair/maintenance of Cantt fund roads by hot mix paver finisher system	2,00,00,000/-	1. M/s Juneja Construction Pvt. Ltd. A-182, Ground Floor, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-17. 2. M/s R.S. Builders D-61, Pallavpuram, Phase-I Meerut.
9	Provision of Rain Water Harvesting (RWH) in Cantt Fund Buildings	80,00,000/-	M/s Rain People 109, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut.
10	Tender for supply of reflective sign boards & road safety devices in Cantonment area Meerut during 2016-17	20,00,000/-	M/s Rajeev Enterprises Lal Dass Street, Meerut (U.P.)

टेबल संख्या 5 मे उल्लिखित बाकि बचे कार्यों सम्बन्ध मे बार बार निविदाएं आमंत्रित करने के बाद भी निविदा नही हो सकी। विधान चुनाव की आचार संहिता के कारण 5वीं बार निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय नही बचा है एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 31.03.2017 को समाप्त हो रहा है। जीओसी इन सी ने पत्र संख्या 82877/जेन/एलसी8/2016–17 दिंनाक 09.02.2017 के माध्यम से वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित बजट स्वीकृत किया। तद्वनुसार, बोर्ड वर्ष 2016–17 के लिए बढे हुए संशोधित स्वीकृत बजट के अनुसार कार्य करा सकता है। निविदाएं आमंत्रित करने एवं पूरा करने मे लगभग एक माह का समय लग जाएगा। मौजूदा स्थिति मे बोर्ड

सम्बन्धित बजट मद्द (अल्प) के अंतर्गत स्वीकृत बजट का इस्तेमाल नही कर पाएगा एवं वह समाप्त हो जाएगा।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

500. संकल्प

मु.अ.अ. ने बोर्ड को सूचित किया कि कार्यबिंदु के आखिरी पैरे मे 'टेबल 5' को 'टेबल 4' पढा जाए जो कि एक टंकण त्रुटि थी। बोर्ड ने पाया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए एमईएसएसएसआर 2010 अनुसूची पर विकास कार्यों के लिए मरम्मत/रखरखाव, छावनी क्षेत्र मे पुलियों एवं कूडेदानों के सुधार, बिजली के तारों की मरम्मत, छावनी क्षेत्र मे छावनी निधि वाले मूत्रालयों/शौचालयों की मरम्मत/रखरखाव/सुधार, नालों की मरम्मत एवं सडकों/कटों/ट्रैंच रैम्प/सडकों के चौडीकरण जैसे वर्गों मे आनलाईन निविदा प्राप्त करने के लिए कार्यालय द्वारा किए गए बार बार प्रयासों के बाद भी कोई निविदा प्राप्त नही हुई। अब, उपरोक्त वर्गीकृत कार्य जो बजट आंकलन (संशोधित)2016–17 के अनुसार 31.03.2017 तक पूरे कराने है के लिए नई निविदाएं आमंत्रित कराने के लिए समय नही बचा है। अतः बोर्ड ने निर्णय लिया कि उपरोक्त निविदाओं के बजट को उसी मद्द मे अन्य वर्गों के कार्य के लिए इस्तेमाल कर लिए जाए जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 मे उन कार्यों के अनुमोदित निविदा दरों का विस्तार किया जा सकता है। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि छावनी निधि स्कूलों जो कि सीएबी इण्टर कॉलेज/आधारशिला पब्लिक स्कूल एवं छावनी परिषद के प्राईमरी स्कूल है के लिए अनुमोदित कार्य, छावनी निधि भवन जैसे छावनी परिषद कार्यालय/सफाई गोदाम/गाँधी बाग मे भवन ढांचे/मीट की दुकानें/स्लाटर हाउस/कैटल पाउंडस भवन आदि एवं फुटपाथों की मरम्मत/रखरखाव/सुधार, सडक किनारे रैलिंग/फैंसिंग एवं मेनहोल/पार्क/विकास साईटों के कार्यों को बजट आंकलन (संशोधित) 2016–17 के अंतर्गत स्वीकृत बजट प्रावधानों के आगे जाकर निविदा राशि को बढाकर/विस्तार कर समान बजट मद्द मे करा लिये जाए। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि निविदा परिवर्तन की कंडिका यहाँ लागू नही होती क्योकिं छावनी परिषद मे वित्तीय वर्ष के दौरान कराए जाने वाले कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

जीओसी–इन–सी ने वर्ष 2016–17 के लिए पत्र संख्या 260506/बीई/एमआरटी/क्यू 3 एल2 दिंनाक 07.02.2017 जो इस कार्यालय मे दिंनाक 15.02.2017 को प्राप्त हुआ के माध्यम से संशोधित बजट को स्वीकृत किया। संशोधित स्वीकृत बजट को 31.03.2017 तक इस्तेमाल करना है। बोर्ड ने पाया कि चल रही प्रथा के अनुसार विभिन्न वर्गों के कार्यों के लिए ठेकों के वास्ते वार्षिक निविदाएं मांगी जाती है और मूल बजट निर्धारण के अनुसार उपलब्ध स्वीकृत बजट के आधार पर उसी राशि तक ठेके किए जाते है जो जीओसी इन सी द्वारा फरवरी/मार्च मे प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे स्वीकृती जारी की जाती है क्योकि सभी अनुमोदित दरे आनलाईन आमंत्रित की गई है और एमईएसएसएसएसआर 2010 की दरों के प्रतिशत पर आधारित है। वर्ष 2016–17 मे कार्यों के अनुबंध किए जाने है और निविदाएं आमंत्रित करने पर यह अनुमान है कि मौजूदा अनुमोदित दरों से ज्यादा दर आ सकती है। अतः यह बोर्ड के वित्तीय हित मे है कि अनुमोदित दरों पर काम करा लिया जाए। बोर्ड ने यह भी पाया कि एक ओर कुछ सडके और गलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त है जिनकी तत्काल मरम्मत कराई जानी आवश्यक है और दूसरी ओर स्वीकृत बजट कालाअतीत होने जा रहा है इसलिए बोर्ड ने यह संकल्प किया कि इन विशेष परिस्थितियों मे क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत/पुनः निर्माण जनहित मे करा दिया जाए जिसके लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी अधिकृत है जो स्वीकृत कार्य संबधित वर्ग मे किए गए है। वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुमोदित दरों पर पुनर्क्षित स्वीकृत बजट की सीमा तक करा लिए जाए और इस हेतु 31 मार्च 2017 तक कार्यपूर्ण कराने एवं निधि का इस्तेमाल करने हेतु द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता से अथवा न्यूनतम निविदा दाता से करार निष्पादित करा लिया जाए।

५०१. २०१६–१७: रखरखाव कार्यों के लिए आंकलनों का अनुमोदन।

वर्ष 2016–17 के दौरान बजट मद्द डी2 के अंतर्गत कराए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों के आंकलनों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतुः–

S.No.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST
	BUDGET HEAD D2 DEVELOPMENT WORKS	
	BUDGET HEAD D2(a) TC WORKS	
1.	Repair/ Provision of Pump room structure at borewell/ VT pump at pump house	Rs. 5,57,000.00
2.	Repair/ Provision of Pump room structure at borewell/ VT pump Cantt General Hospital pump house	Rs. 5,57,000.00
3.	Repair of staff quarter allotted to Shri Shahid Driver in Cantt General Hospital	Rs. 1,35,450.00
4.	Repair of staff quarter No. 47, Tandel Mohalla allotted to Smt Santosh Devi	Rs.1,28,250.00
5.	Repair of staff quarter at Gandhi Bagh allotted to Shri Darbaan, Tandel Mohalla allotted to Smt Santosh Devi	Rs.88,250.00
6.	Repair of staff quarter No. 48, Tandel Mohalla allotted to Shri Dinesh	Rs.1,38,250.00
	BUDGET HEAD D2 (a) (2) SCHOOLS	
1.	Repair/ alteration/ maintenance of classrooms, verandahs including repairs to slabs, plaster, floors & doors/windows in Primary schools at BI Bazar, B C Bazar and RA Bazar Schools	Rs. 16,63,899.00
	BUDGET HEAD D2 (b)	
1.	Repair/re-carpeting of roads by patch works of CF roads in Cantt Area	Rs. 22,00,000.00
2.	Repair/re-carpeting of road from CAB Inter college to Westend Road (GTB) in front of recruitment office	Rs.4640800.00
3.	Repair/re-carpeting of Arya samaj road from fawara chauk to patta Mohalla Chawk	Rs.53,48,000.00
4.	Repair/re-carpeting of Abu lane road from Begum bridge to dass motors crossing	Rs.49,31486.00
5.	Repair/re-carpeting of road from fawara chauk to London sports	Rs.44,37,800.00
6.	Repair/re-carpeting of road from 9, R A Line to Kulwant Singh stadium Road	Rs. 16,88,849.00
7.	Repair/re-carpeting of road from Patta Mohalla crossing to Dhaneshwar chawk	Rs.9.93,254.00
8	Repair/re-carpeting of road from Laxmi Narayan Temple to Arya Samaj Road.	Rs. 14,26,250.00
9	Repair/re-carpeting of road from Aata Chakki Patta Mohalla to Tilak Park	Rs. 8,56,100.00
10	Repair/re-carpeting of road from Tilak Park to Bundela Chowk	Rs. 14,10,300.00
11	Repair of floor/wall/tiles & roof/Plaster work in Aashiyana Guest house	Rs 2,24,600.00

उपरोक्त कार्य उपलब्ध बजट के अनुसार ही कराया जाना है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

501. संकल्प

विचार कर कार्यसूची मे वर्ष 2016–17 के लिए कार्यसूची मे उल्लिखित आंकलनों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। कार्यों को स्वीकृत बजट आंकलनों के भीतर कराया जाए।

५०२. शिवाजी कॉलोनी बीसी बाजार मेरठ छावनी मे एलआईजीएच क्वार्टर : उप–समिति–रिपोर्ट।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 196 दिंनाक 18.08.2010, 291 दिंनाक 30.11.2012, 394 दिंनाक 11.03.2013 एवं 430 दिंनाक 18.03.2013।

शिवाजी कॉलोनी, बीसी बाजार, मेरठ छावनी मे एलआईजीएच क्वार्टरों की नीति के सम्बन्ध मे अध्यनन करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई उप–समिति की रिपोर्ट दिंनाक 30.08. 2012 पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि बीसी बाजार मे एलआईजीएच क्वार्टर छावनी परिषद की सम्पत्ति है। कुछ क्वार्टर जैसे अवैध कब्जें, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध बिक्री/खरीद, कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा कब्जे आदि के सम्बन्ध मे कुछ क्वार्टरों मे झगडा है। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 196 दिंनाक 18.08.2010 के माध्यम से तत्कालीन सदस्यों वाली एक उपसमिति का गठन किया। समिति ने विस्तृत अध्यनन के बाद एक उप–समिति ने रिपोर्ट दिंनाक 30.08.2012 प्रेषित की। उप–समिति की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक दिंनाक 30.11.2012 को रखी गई एवं बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 291 दिंनाक 30.11.2012 के माध्यम से मामले पर स्थगित करने का निर्णय लिया, उसके पश्चात, मामला बोर्ड के समक्ष कई बार रखा गया परन्तु कोई निर्णय नही लिया गया।

इसी बीच, ऑडिट निदेशक, मध्य कमान मेरठ ने पीओएल संख्या 23 दिंनाक 22.08.2012 के माध्यम से गंभीर अनापत्ति उठाई एवं एलआईजीएच क्वार्टरों के उन अधिभोगियों जो विभाग की सेवाओं मे है से मकान किराया न वसूलने के कारण करोडों रूपये का नुकसान बताया। उस पर अभी भी निर्णय लेना बाकी है।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि एलआईजीएच के अवैध कब्जेदारों पर अब तक लगभग 26 लाख रूपये का बकाया है।

उपरोक्त दृष्टिगत, बोर्ड उप–समिति की रिपोर्ट की संस्तुति एवं उपरोक्त उल्लिखित ऑडिट रिपोर्ट पर विचार करते हुए नीति पर निर्णय ले, जिससे कि, एलआईजीएच क्वार्टरों के मुददे पर अंतिम निर्णय लिया जा सके एवं जो भी राजस्व वसूला जा सकता है, उसे बोर्ड के वित्तीय हित मे वसूला जाए।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

502. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि उप–समिति द्वारा रिपोर्ट दिंनाक 30.08.2012 के माध्यम से की गई संस्तुतिओं को स्वीकार कर अनुमोदित किया गया। उनकों तत्काल कराया जाए एवं मु.अ.अ. समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। सभी अवैध अधिभोगियों के विरूद्ध पीपीई अधिनियम के अंतर्गत निकालने की कार्यवाही की जाए। अधिभोग अवधि के लिए बकाया लाईसेंस शुल्क एवं नुकसान वसूला जाए। मु.अ.अ यह सुनिश्चित करेंगे कि हर लाईसेंसी/आवंटी आवंटन की सभी नियम एवं शर्तों को पूरा करता है एवं उलंघन

की स्थिति मे आवंटन को समाप्त करने एवं निकालने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। श्रीमती मंजू गोयल ने लिखित नोट दिया जो नीचे चस्पा हैः–

बिन्दु सं0 502 में नोट करने हेतु

डायरेक्टर, ऑडिट, सी0सी0, मेरठ के पत्र सं0 23 दिंनाक 22.08.2012 व इस आईटम में स्पष्ट है कि छावनी परिषद को करोडों रूपये का आउस रेन्ट वसूली न होने के कारण नुकसान उठाना पड रहा है। शिवाजी कॉलोनी स्थित क्वाटर्स में अवैध कब्जेदारों को वहा से हटाया जाये या उनसे लगभग दो लाख रूपये व लीगर हायरों से 25 प्रतिशत ट्रांस्फर/रेगुलाईजेशन फीस के रूप मे वसूल कर कियाये की रसीदें अनुमोदित दरों पर सी0ई0ओ0 के माध्यम से वसूल की जाए, जिससे कि छावनी परिषद की आय मे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

५०३. छावनी परिषद स्कूलों मे प्राईमरी शिक्षा की उन्नति।

छावनी परिषद के स्कूलों मे प्राईमरी शिक्षा की उन्नति के मामले पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि स्मार्ट कैन्ट मे एक मुख्य योजना सीबी जूनियर हाई स्कूल आर ए बाजार, सीबी प्राईमरी स्कूल बीआई बाजार, बीसी बाजार एवं आधारशिला कैन्ट पब्लिक स्कूल, सदर बाजार मेरठ छावनी मे बच्चों को उच्च प्राईमरी शिक्षा प्रदान करना है। स्कूलों को स्क्रीन, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, बायोमैट्रीक हाजिरी मशीन आदि उपलब्ध कराना है। सभी 04 स्कूलों पर लगभग रू 75000/– का खर्चा आएगा।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

503. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि छावनी परिषद स्कूलों एवं सीएबी इण्टर कॉलेज मे स्मार्ट क्लासिस शुरू करने लिए जैसा कि कार्यसूची मे उल्लिखित है के लिए आवश्यक सामान खरीद लिया जाए। मु.अ.अ. प्रक्रिया अनुसार सभी खर्च करने के लिए अधिकृत है।

५०४. मंगल पाण्डे बाजार, मेरठ छावनी मे फडों का निर्माण।

.संदर्भ : छा0बो0स0 316 दिंनाक 19.09.2016।

मंगल पाण्डे बाजार, मेरठ छावनी की सी वर्ग भूमि फडों के निर्माण के मामले पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि बोर्ड द्वारा मामले पर संदर्भित छा0बो0स0 संख्या के माध्यम से विचार किया गया था एवं यह निर्णय लिया गया था जगह का पहले मु.अ.अ एवं अ.छ.परि द्वारा निरीक्षण किया जाए। अध्यक्ष छावनी परिषद ने मु.अ.अ सहित जगह का निरीक्षण दिंनाक 22.09.2016 को किया एवं सुझाव दिया कि जगह फडों के निर्माण के लिए उपयुक्त है एवं राजस्व आधार बढाने के लिए एक प्रयास है। महानिदेशालय रक्षा सम्पदा ने भी अपने खुद के राजस्व श्रोत बढाने के निर्देश दिए है। मंगल पाण्डे बाजार पर भूमि सी वर्ग भूमि है एवं फिलहाल खाली है एवं जिससे कोई राजस्व की उत्पत्ति नही है एवं लोगों द्वारा उपद्रव करने की जगह बन गई है। छोटे व्यापारियों के लिए फड बनाने से बोर्ड को अच्छे राजस्व की प्राप्ति होगी।

जगह सी वर्ग की होने के कारण बोर्ड के प्रबंधन मे है एवं बहुत अच्छा बाजारीय स्थल है।

सम्बन्धित रिपोर्ट/पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

504. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि मंगल पाण्डे बाजार मे फडों के निर्माण जैसा कि कार्यसूची मे प्रस्तावित के लिए आवश्यक आंकलन तैयार कर अगली बोर्ड बैठक मे रखे जाए। नीलामी केवल छावनी अधिनियम 2006 की धारा 267 के अंतर्गत अधिभोग अधिकारों एवं आवंटन के लिए आयोजित की जाए। छावनी अधिनियम 2006 की धारा 267 के अंतर्गत इन फडों के अधिभोग अधिकारों के लिए आवश्यक नियम एवं शर्तें तैयार की जाए एवं अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाए।

आगे मंगल पाण्डे बाजार मे प्रस्तावित फडों के अधिभोग अधिकारों के आवंटन हेतु निम्न सदस्यों वाली समिति का गठन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. श्रीमती बीना वाधवा, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती मंजू गोयल, सदस्य
3. श्रीमती बुशरा कमाल, सदस्य
4. मु.अ.अ, सदस्य सचिव

५०५. एलईडी लाईटों को बदलना।

बोर्ड को सूचनीय है कि मु.अ.अ. से चर्चा के दौरान, निर्वाचित सदस्यों ने मांग की कि मौजूदा खम्बे/बिंदु पर एलईडी लाईटें नही लगी है उनपर भी एलईडी लाईटें लगा दी जाए जिससे छावनी क्षेत्र मे सुंदरता दिखाई देगी। यह सूचनीय है कि बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 341 दिंनाक 19.09.2016 के माध्यम से 2177 जगहों के लिए एलईडी लाईटें खरीदना अनुमोदित किया था। यदि सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, लगभग अन्य 300 लाईटें बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर खरीदनी पडेंगी।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

505. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यसूची मे उल्लिखित उददेश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अनुमोदित एजेंसी से पिछले अनुमोदित दरों पर 500 अंतिरिक्त एलईडी लाईटें खरीद ली जाए। मु.अ.अ. खर्च करने के लिए अधिकृत है।

५०६. छावनी मे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्यवाही।

अवैध निर्माणों को हटाने के लिए मु.अ.अ. द्वारा की गई कार्यवाही एवं मौजूदा स्थिति को नोट करने हेतु।

छावनी परिषद द्वारा अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के जिन मामलों मे सभी कानूनी कार्यवाही पूर्व कर ली गई है, जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिंनाक 26.12.2016 से 30.12.2016 के दौरान प्रस्तावित 114 ध्वस्तीरण के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पत्र संख्या बिल्डिंग/ई7ए/2526 दिंनाक 26.12.2016 भेजा गया था। उसके पश्चात जिला प्रशासन के पत्र/सुझाव के अनुसार छावनी परिषद्, मेरठ के कार्यालय मे दिंनाक 28.12.2016 को बैठक आहुत की गई। दिंनाक 28.12.2016 को आयोजित की बैठक मे

सदर बाजार एवं लालकुर्ती पुलिस थाने के एसएचओ शामिल हुए। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी बैठक मे शामिल नही हुआ। सदर एवं लालकुर्ती थाने के एसएचओ के सुझाया कि अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही मेरठ मे विधान सभा का चुनाव पूरा होने तक टाल दी जाए। अब, दिंनाक 11.07.2017 को मेरठ मे विधान सभा के चुनाव पूरा होने बाद, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्राधिकारियों से पुनः पत्र दिंनाक 17.02.2017 के माध्यम से 28.02.2017 से पहले अवैध निर्माणों को तोडने के लिए उचित तारिख देने का अनुरोध किया गया। जवाब अभी भी प्रतिक्षित है।

इसी बीच, जो अवैध निर्माण हाल ही मे शुरू किये गए थे उन्हे शुरूआत मे ही कार्यालय द्वारा खुद ही तोड दिए गए।

बोर्ड उपरोक्त स्थिति को नोट करें ।

506. संकल्प

नोट किया गया। मु.अ.अ. ने बोर्ड को कार्यबिंदु के बारे मे बताया। बोर्ड ने नोट कर पाया कि जब भी अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण एवं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस सहायता एवं मजिस्ट्रेट की सेवाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी जाएंगी, कार्यवाही की जाए। श्री गौरव वर्मा, मनोनीत सदस्य ने कहा ऐसी प्रशासनिक एवं पुलिस सहायता जिला प्रशासन द्वारा 15 मार्च 2017 के बाद उपलब्ध करा दी जाएंगी।

५०७. <u>मेरठ छावनी को ओडीएफ रहित क्षेत्र घोषित करना।</u>

संदर्भ : छा0बो0स संख्या 382 दिंनाक 02.12.2016।

मेरठ छावनी मे ओडीएफ सर्वेक्षण के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए।

बोर्ड को सूचनीय है कि महानिदेशालय के पत्रांक 76/68/स्वच्छ भारत/सी/डीई/16 भाग 2 दिंनाक 18.11.2016 एवं प्रधान निदेशालय पत्र संख्या 56/786/स्वच्छ भारत/17 दिंनाक 18.11.2016 के अनुसार सभी 08 वार्डों मे ओडीएफ सर्वेक्षण कराया गया एवं केवल वार्ड संख्या 5 एवं 8 को छोडकर सभी जन प्रतिनिधियों, शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानों द्वारा प्रमाण पत्र दे दिया।

तद्वनुसार, प्रधान निदेशालय मध्य कमान को इस कार्यालय के पत्रांक 87/सी/स्वच्छ भारत/465 दिंनाक 03.12.2016 के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। ओडीएफ के लिए पेयजल एवं सफाई मंत्रालय द्वारा सर्कुलर दिंनाक 03.09.2016 दिए गए निर्देशों/विनिर्देशों के क्रम मे इस सम्बन्ध मे दिंनाक 04.02.2017 को दैनिक हिन्दुस्तान एवं दिंनाक 05.02.2017 को दैनिक प्रभात मे एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराकर 15 दिनों के भीतर सुझाव/अनापत्ति मांगी गई। कोई सुझाव/अनापत्ति प्राप्त नही हुई।

वार्ड 5 एवं 8 भी ओडीएफ रहित है, हालाकि सम्बन्धित वार्ड सदस्यों ने प्रमाण पत्र नही दिए है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह प्रमाणित किया जाए कि मेरठ छावनी के सभी वार्ड ओडीएफ रहित है एवं राज्य सरकार की सम्बन्धित प्राधिकरण को प्रमाणिकता हेतु सूचित किया जाए।

सम्बन्धित कागजात पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

507. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से केवल वार्ड संख्या 5 एवं 8 को छोडकर मेरठ छावनी को ओडीएफ घोषित करने के लिए सम्पर्क किया जाए।

५०८. पुष्प प्रदर्शनी पर छावनी परिषद द्वारा खर्च।

बोर्ड को सूचनीय है कि परम्परानुसार गांधी बाग मे प्रत्येक वर्ष फरवरी/मार्च मे पुष्प प्रदर्थनी का आयोजन किया जाता है जिसके लिए टैंट मेज सहित, स्टेज स्टैंड, द्वार की सजावट एवं खानपान आदि की व्यवस्था छावनी परिषद करता आया है। इस साल पुष्प प्रदर्शनी की तिथि 5 मार्च 2017 तय की गई है। जीओसी पीयूपीएसए/अ0छा0परि द्वारा अनुमोदित पुष्प प्रदर्शनी समिति के समारोह के अनुसार बोर्ड द्वारा किए जाने वाले खर्च का आंकलन रू 300000/– है।

बोर्ड से अनुरोध है कि खाने, जलपान, टैन्ट कुर्सी, स्टेज, साउंड सिस्टम, द्वार की सजावट आदि पर होने वाले उपरोक्त खर्च को अनुमोदित करे। कार्यालय द्वारा अखबार मे प्रकाशन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई है जो 01.03.2017 को खुलेंगी।

508. संकल्प

विचार कर छावनी परिषद द्वारा मुख्यालय पश्चिम यूपी सब–एरिया के साथ आयोजित कराए जाने वाले प्रस्तावित पुष्प प्रदर्शनी 2017 के लिए आंकलित खर्च रू 3,00,000/– को अनुमोदित किया गया। मु.अ.अ. खर्च करने के लिए अधिकृत है।

५०९. मेरठ छावनी मे गैरकानूनी एवं नियमविरूद्ध कृत्यों के सम्बन्ध मे शिकायत।

श्री अनुज सिंह द्वारा ओल्ड ग्रांट सम्पत्तियों के भवन नक्शों की स्वीकृती कराने के विरूद्ध डा0 विवेक चौधरी, 162, सिविल लाईंस, मेरठ द्वारा शिकायत दिंनाक शून्य जो महा0नि0र0स0, अ0छा0परि एवं सीपीग्राम्स के माध्यम से प्राप्त हुई है पर विचार करने हेतु।

शिकायतकर्ता ने अन्य मुददों को उठाने के साथ साथ शिकायत मे यह उल्लिखित किया है कि निम्नलिखित ओल्ड ग्रांट सम्पत्तियों पर सरकार की नीति के विरूद्ध भवन नक्शों की स्वीकृती की गईः–

1. 151, गंज बाजार
2. दुकान संख्या 27–27ए एवं 28–28ए, रंगसाज मौहल्ला
3. दुकान संख्या 102 एवं 103, दालमंडी
4. दुकान संख्या 158, रंगसाज मौहल्ला
5. दुकान संख्या 332, ब्रिज स्ट्रीट

कथित शिकायत मे अधिकारिक के विरूद्ध कई अन्य आरोप भी लगाए गए है। सम्बन्धित कागजों सहित शिकायत पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

509. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत मे लगाए गए आरोपों की जांच मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा कि जाए एवं कार्यसूची मे उल्लिखित प्लान की स्वीकृती के लिए संस्तुति कर सरकारी नीतियों का उलंघन करने मे शामिल अधिकारियों की

जिम्मेदारी बताते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक मे रखी जाए। उच्च प्राधिकारियों को पूरा ब्यौरा/तथ्य बताते हुए जवाब भेजा जाए। यदि आवश्यक हो तो, अंतरिम जवाब भेजा जाए।

५१०. उ०प्र० सरकार के साथ राजस्व का बंटवारा।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 278 दिंनाक 10.06.2016।

छावनी परिषद मेरठ द्वारा चुंगी को बंद करने, शिक्षा अनुदान समाप्त करने के कारण उ0प्र सरकार से सम्पत्ति की खरीद फरोख्त पंजीकरण एवं सडक वाहनों के पंजीकरण की राजस्व आय मे बंटवारे के मुददे पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश के भीतर छावनी परिषद भी एक नगर पालिका है। मध्य प्रदेश राज्य मे सभी छावनी परिषद मध्य प्रदेश सरकार से राजस्व मे से हिस्सा प्राप्त कर रही है।

छावनी परिषद द्वारा मुददा उ0प्र0 राज्य सरकार के समक्ष उठाया था परन्तु राज्य सरकार ने राजस्व बंटवारे के मुददे पर छावनी परिषद को नगर पालिका मानने से इंकार किया है। बोर्ड ने पहले ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या 65145/2011 छावनी परिषद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य दायर कर रखी है जो लंबित है। अब, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मान्यता देने के बाद, कार्यालय ने पुनः सचिव, राजस्व उप्र सरकार को तथ्यों से अवगत कराते हुए लिखा है एवं छावनी परिषद को नगर पालिका मानने का अनुरोध किया है।

सम्बन्धित कागजात पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर निर्णय ले।

510. संकल्प

बोर्ड ने मु.अ.अ. द्वारा की गई कार्यवाही को नोट किया। यह भी निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 सरकार के राजस्व सचिव से चुंगी मुआवजा, शिक्षा अनुदान एवं जनसंख्या के अनुपात मे जिले मे सम्पत्ति की खरीद फरोख्त मे हिस्सा के नाते राजस्व हिस्सा देने के लिए सम्पर्क किया जाए क्योकि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत छावनी परिषद को नगर पालिका माना गया है एवं मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश मे स्थित छावनी परिषदों को अनुदान/राजस्व मे हिस्सा दे दिया है।

५११. पदों को भरने के लिए भर्ती।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 394 दिंनाक 17.01.2017।

महानिदेशालय रक्षा सम्पदा के पत्र संख्या 25/मिस/सी/डीई/2004 दिंनाक 06.10.2016 के क्रम मे 06 सदस्यों वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

बोर्ड ने संदर्भित छा0बो0स0 संख्या के माध्यम से समिति की रिपोर्ट के अनुसार अवर अभियंता (वि/म) एवं अध्यापकों के पदों के सृजन का निर्णय लिया था, वेतनमान एवं वित्तीय फर्क सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अगली बैठक मे रखा जाए। वह निम्न हैः—

क्रम संख्या	पद का नाम	आवश्यक पदों की सख्या	वेतनमान	वित्तीय फर्क
1.	सीएबी इण्टर कॉलेज के लिए सहायक अध्यापक	06	9300-34800 + GP-4600	13900 x 6= 83400 + उप्र सरकार के अनुसार भत्ते
2.	प्राईमरी स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक	04	9300 – 34800 + GP - 4200	13500 x 7=94500 + उप्र सरकार के अनुसार भत्ते.
3.	अवर अभियंता (वि/अभि)	01	वर्तमान मे छावनी परिषद मेरठ मे रू 5200–20200 + ग्रेपे 2800, जो कि उ0प्र0 सरकार मे रू 9300–34800 + गेपे 4200 मे संशोधित हो गया है।	13500 + allowances as per UP Govt.

यह संस्तुति की जाती है कि सीएफएसआर 1937 के नियम 5(ब) सपठित छावनी लेखा संहिता, 1924 के नियम 45 से 47 के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा के माध्यम से जीओसी इन सी को भेजा जाए।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

511. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि सीएफएसआर 1937 के नियम 5(ब) सपठित छावनी लेखा संहिता, 1924 के नियम 45, 46, 47 के अंतर्गत कार्यसूची मे उल्लिखित वेतनमान मे पदों की संख्या के सृजन के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रधान निदेशालय के माध्यम से जीओसी इन सी मध्य कमान को भेजा जाए।

५१२. सिविल अपील संख्या ६७३०–६७३१/२०१६(जो एसएलपी (सी) संख्या २०६८७–२०६८८/२०१६ छावनी परिषद पचमढी बनाम गोपाल दास काबरा एवं अन्य से निकली है) मे माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिंनाक २७.०८.२०१६।

बोर्ड को सूचनीय है कि महानिदेशालय रक्षा सम्पदा नई दिल्ली ने पत्रांक 73/38/पचमढी/सी/डीई/2015/एफएमएस 53733 दिंनाक 03.02.2017 एवं निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान लखनऊ ने पत्रांक 11034/ईलेक्शन/पच/2016/31 दिंनाक 08.02.2017 के माध्यम से निर्वाचक नामावली, सरकारी भूमि से अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने के समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय का ओदश दिंनाक 27.09.2016 को ध्यान मे रखने के निर्देश दिए है।

यह सूचनीय है कि उक्त निर्णय के मामले पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सीएमडब्लूपी संख्या 19881/2016 श्री अमित गुप्ता व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य लंबित है।

बोर्ड से महा0नि0 एवं प्र0नि0 द्वारा दिए गए निर्देशों को नोट करने का अनुरोध है।

512. संकल्प

बोर्ड ने निदेशालय रक्षा सम्पदा के पत्र को नोट किया। निर्णय लिया गया कि एसएलपी(सी) संख्या 20687–20688/2016, छावनी परिषद पचमढी बनाम गोपाल दास काबरा व अन्य मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक मे कार्यसूची मे उल्लिखित महानिदेशालय रक्षा सम्पदा के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

आगे मु.अ.अ. ने बोर्ड को काली की धर्मशाला के बराबर मे मंदिर संख्या 33 खसरा संख्या 183/600 जो बी–3 भूमि पर ओल्ड ग्रांट पर है मे हुए अवैध निर्माण मे श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 7 के आचरण एवं सीधी भागीदारी के बारे मे बताया। उक्त भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत कराए अवैध तरीके से पिलरों पर 31'1'' x 11' का लैंटर डाल दिया गया। हालाकि, मु.अ.अ. ने छावनी परिषद् के स्टाफ के द्वारा दिंनाक 25.02.2017 की दोपहर को निर्माण का कार्य रूकवाया था। तभी, श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य ने मु.अ.अ. ने सम्पर्क कर भेजे गए स्टाफ/मजदूरों को वापस आने के लिए अनुरोध किया एवं उन्होने आश्वस्त किया कि आगे कोई निर्माण नही किया जाएगा परन्तु उसी दिन 25.02.2017 की रात को, उन्होने भागीदारी से सहायता कर कथित अवैध निर्माण पर लैंटर डलवा दिया।

श्री धर्मेन्द्र सोनकर ने खुद भी खसरा संख्या 183/775 के दक्षिण पूर्व मे 183/735(भाग) वाली 1720 वर्ग फीट की बी–4 भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जहाँ वह मै0 शिव महिमा टैन्ट हाउस के नाम से बिना किसी प्राधिकार एवं बोर्ड की स्वीकृती के व्यवसायिक व्यापार कर रहे है एवं वह सरकारी बी–4 भूमि के कब्जे एवं प्रयोग के लिए कोई राजस्व का भुगतान भी नही कर रहे है।

श्री धर्मेन्द्र सोनकर ने खुद भी अपने मकान संख्या 244, टंडैल मौहल्ला के सामने खसरा संख्या 183/735(भाग) वाली 418.5 की वर्ग फीट की बी–4 भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जहाँ उन्होने बिना किसी प्राधिकार एवं बोर्ड की स्वीकृती के अवैध निर्माण कर लिया है एवं वह सरकारी बी–4 भूमि के कब्जे एवं प्रयोग के लिए कोई राजस्व का भुगतान भी नही कर रहे है।

उपरोक्त एवं छावनी परिषद की रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री धमेन्द्र सोनकर ने छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उलंघन करते हुए अवैध निर्माणों मे संलिप्ता दिखाई है जिसके लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 34 के प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित किया है एवं वह अधिनियम की धारा 34(1)(ई) के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड से हटाने के योग्य है। ऐसी कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी(सी) संख्या 20687–20688/2016 छावनी परिषद पचमढी बनाम गोपाल दास व अन्य मे पारित आदेश दिंनाक 27.06.2016 मे दिए गए निदेशों के अनुसार भी आवश्यक है।

बोर्ड ने विस्तृत विचार करते हुए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 34 का संज्ञान लिया एवं सर्वसहमति से निर्णय लिया कि श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य की छावनी परिषद, मेरठ की सदस्यता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाही हेतु जीओसी–इन–सी/प्र0नि0 र0स0 मध्य कमान के माध्यम से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए।

५१३. <u>ऑनलाईन कर प्रबंधन प्रणाली के लिए डिजाईन, विकास, कार्यान्वन एवं सहायता सेवायों के लिए दरों का अनुमोदन।</u>

आनलाईन कर प्रबंधन प्रणाली एवं छावनी परिषद, मेरठ द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए डिजाईन, विकास, कार्यान्वन एवं सहायता सेवाओं के लिए मै0 बीजी सिस्टम सर्विसिज प्रा0 लि0 द्वारा उद्वत न्यूनतम दरों पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि :–

1. ई–सेवाओं को बढावा देना मेरठ छावनी के स्मार्ट कैन्ट मिशन का हिस्सा है। म0नि0 र0स0 ने स्मार्ट कैन्ट मिशन के अंतर्गत छावनी परिषदों मे ऑनलाईन कर प्रबंधन प्रणाली के प्रावधान पर विचार किया है। म0नि0 रक्षा सम्पदा ने पत्रांक 56/15/मिस/डीजीडीई /कोर्ड/वोल 2 दिंनाक 08.09.2016 ने भी आनलाईन कर प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्यवाही बिंदु एवं लक्ष्य तिथि जारी की है।

2. तद्वनुसार, स्मार्ट कैन्ट परियोजना के अंतर्गत छावनी परिषद मेरठ ने दिंनाक 20.01.2017 को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई पब्लिशिंग के साथ साथ राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों मे विज्ञापन प्रकाशित कर दो बोली प्रणाली जो तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली है मे आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। तकनीकी बोली दिंनाक 15.02.2017 को खोली गई। 08 बोलीकर्ताओं ने भाग लिया एवं 04 फर्मों ने निविदा की शर्तों के अनुसार दस्तावेजों की हार्ड प्रति प्रेषित नही की। 04 प्रतिभागियों मे से मै0 क्यूब सॉफटवेयर प्रा0 लि0 ने निविदा की कंडिका संख्या 08 के अनुसार स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रेषित नही की। अतः, प्राप्त 08 निविदाओं मे से, 03 फर्म/ठेकेदार वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाए गए। तद्वनुसार, वित्तीय बोली दिंनाक 25.02.2016 को खोली गई। फर्मों द्वारा उद्वत दरें निम्न है:–

S. No.	Name of firm qualified in technical evaluation	Description of items of work	Rates quoted
1.	M/s Aveon Infotech Private Limited	Cost of requirement gathering, designing, developing, implementing, hosting (for 02 years), data entry, training and maintenance services for on line tax management system for collecting of property tax, water tax and other taxes & fees/charges online including SMS (at least 25000 SMS with 02 years of validity) and payment gateway integration with 02 years of warranty	Rs.13,88,000/-
2.	M/s BG System Services Pvt. Ltd.	-do-	Rs.3,50,000/-
3.	M/s Net Creative Mind Solution Pvt. Ltd.	-do-	Rs.11,50,000/-

प्रोर्गामर ने रिपोर्ट की है कि उल्लिखित कार्य के लिए मै0बीजी सिस्टम सर्विसिज प्रा0 लि0 द्वारा उद्वत न्यूनतम दरें रू 3,50,000/– उचित है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

513. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यसूची मे उल्लिखित आनलाईन कर प्रबंधन प्रणाली की सेवाओं के लिए डिजाईन, विकास, कार्यान्वन एवं सहायता सेवाओं के लिए मै0 बीजी सिस्टम सर्विसिज प्रा0 लि0 द्वारा उद्वत न्यूनतम दरें रू 3,50,000/– को अनुमोदित किया गया। मु.अ.अ. आवश्यक अनुबंध करने एवं कार्योपरांत भुगतान करने के लिए अधिकृत है।

514. <u>सामान्य बिंदु</u>

उपाध्यक्ष ने निम्न सामान्य बिंदु उठाएः–

1. जनहित मे हर वार्ड मे कम से कम 02 वाटर एटीएम लगाए जाने चाहिए। मु.अ.अ. ने आश्वस्त किया कि निधि की उपलब्धता पर संभावना देखी जाएगी एवं यदि आवश्यकता पडी तो, जनहित मे बोर्ड/अध्यक्ष छावनी परिषद की स्वीकृती प्राप्त की जाएगी।

2. जनहित मे हर वार्ड मे कम से कम 02 सोलर ट्री लगाए जाने चाहिए। मु.अ.अ. ने आश्वस्त किया कि निधि की उपलब्धता पर संभावना देखी जाएगी एवं यदि आवश्यकता पडी तो, जनहित मे बोर्ड/अध्यक्ष छावनी परिषद की स्वीकृती प्राप्त की जाएगी।

3. जीई(एस) एवं श्रीमती मंजू गोयल को वित्त समिति एवं सामान्य समिति मे सदस्यों के रूप मे शामिल किया जाना चाहिए। सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जीई(एस) एवं श्रीमती मंजू गोयल को बोर्ड की वित्त समिति एवं सामान्य समिति के सदस्य बनाया गया।

Sdxx/-
सदस्य सचिव
Member Secretary
मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer,
Meerut Cantt.

Sdxx/-
अध्यक्ष
छावनी परिषद मेरठ
President,
Cantonment Board, Meerut.

दिंनाक: 27th फरवरी 2017.

Copied By:sdxx/-

Compared By:sdxx/-

True Copy

Sdxx/-
Office Superintendent,
Cantt Board, Meerut.